अध्याय-IV

लेन-देन की लेखापरीक्षा

4.1 लेखापरीक्षा में पता लगाये गये छल/दुर्विनियोजन/गबन/हानि

ग्रामीण विकास विभाग

4.1.1 दुर्विनियोजन एवं निष्फल व्यय

संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन एवं दूसरे कार्यालयों में पदस्थापित सहायक एवं कनीय अभियंताओं को अग्रिम दिये जाने के परिणामस्वरूप अव्यवहृत अपूर्ण संरचना पर 91.05 लाख रूपये के निष्फल व्यय के अतिरिक्त 63.46 लाख रूपये का दुर्विनियोजन।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा (झा.लो.नि.ले.) संहिता के अनुसार यदि कार्यपालक अभियंता (का.अ.) द्वारा सहायक/कनीय अभियंताओं (स.अ./क.अ.) को विभागीय कार्य हेतु कोई अग्रिम दिया जाता है तो उसका समायोजन लेखा एक माह के अन्दर समर्पित कर दिया जाना चाहिए। अगला अग्रिम, कार्य प्रगति के मूल्यांकन एवं पिछले अग्रिमों के समायोजन के उपरान्त ही दिया जाना चाहिए। कार्यपालक अभियंता इस बात के लिए उत्तरदायी है कि अग्रिम प्राप्त करने वाले स.अ./क.अ. एक रोकड़ पंजी का संधारण करे एवं सभी लेन-देन, जैसे ही घटित हो, को उसमें अभिलेखित करे। जब कोई स.अ./क.अ. स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त होता है तो उसके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र/ बकाया नहीं प्रमाण पत्र (अ.वे.प्र.प./एन.डी.सी.), जिसमें वसूलनीय राशि, यदि कोई हो, अंकित होती है, के निर्गमन हेतु का.अ. उत्तरदायी होता है।

का.अ. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.)-I, राँची (नवम्बर 2006 एवं मई 2007), ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल (ग्रा.वि.वि.प्र), दुमका (दिसम्बर 2006) और जमशेदपुर (जुलाई 2007) एवं ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (ग्रा.अ.सं.) जमशेदपुर (जुलाई 2007) के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि का.अ. द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 91.05 लाख रूपये के निष्फल व्यय के अतिरिक्त 63.46 लाख रूपये का दुर्विनियोजन हुआ जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

रा.ग्रा.रोज.का.I, राँची

जिला योजना के अन्तर्गत 32.43 लाख रूपये की प्राक्कलित राशि के चार कार्यो के विभागीय कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, रा.ग्रा.रो.का., राँची द्वारा ग्रा वि. वि. प्र., राँची में पदस्थापित एक सहायक अभियंता को सितम्बर 2004 और अक्टूबर 2005 के बीच 28.80 लाख रूपये का अग्रिम दिया गया। स.अ. ने बिना रोकड़ पंजी में दर्ज किये 20.22 लाख रूपये का अग्रिम एक क.अ. को दिया। स.अ.ने 8.58 लाख रूपये के शेष अग्रिम को वापस किये बिना अग्रिम योजना, अनुसंधान एवं अनुश्रवण अंचल (ए.पी.आई.एम.सी.), राँची में योगदान दिया (जून 2006) और वहीं से सेवानिवृत्त (नवम्बर 2006) हो गये। संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत बकाया नहीं प्रमाण पत्र/अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में वसूलनीय राशि को नहीं दर्शाया गया क्योंकि अग्रिम

दूसरे प्रमंडल (का.अ.,रा.ग्रा.रो.का.-I, राँची) द्वारा दिया गया था। उनकी सेवानिवृति के पूर्व लेखापरीखा द्वारा अग्रिम वापसी हेतु कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता संबंधी बात उठायी गई (नवम्बर 2006) लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच क.अ. ने भी 16.16 लाख रूपये का आंशिक कार्य कराने के बाद शेष 4.06 लाख रूपये के साथ ग्रा.अ.सं., चाईबासा में अपना योगदान (सितम्बर 2006) दिया। उन्हें कोई अ.वे.प्र.प. निर्गत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप स.अ. (8.58 लाख रूपये)/क.अ. (4.06 लाख रूपये) द्वारा 12.64 लाख रूपये नगद का दुर्विनियोजन हुआ जबकि अपूर्ण संरचना पर 16.16 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

का.अ. ने कहा कि (मई 2007) स.अ. एवं क.अ. से वसूली नहीं की गई थी।

ग्रा.वि.वि.प्र., दुमका

का.अ. ने तीन स.अ. को 31[1] कार्यों के विभागीय कार्यान्वयन हेतु 1.79 करोड़ रूपये का अग्रिम दिया। जिन्होने रोकड़ पंजी में दर्ज किये बिना मई 2003 और नवम्बर 2005 के बीच इसे एक क.अ.को अग्रिम दे दिया। क.अ.द्वारा 1.53 करोड़ रूपये का समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत किया गया (मई 2003 और नवम्बर 2005 के बीच) जिसमें 83.95 लाख रूपये का 16 पूर्ण कार्य एवं 69.23 लाख रूपये का 15[2] अपूर्ण कार्य शामिल था। क.अ. ने बिना कार्य पूर्ण किये या 25.39 लाख रूपये वापस किये नहर रूपांकन प्रमंडल सं.I, आदित्यपुर, जमशेदपुर में योगदान दिया (दिसम्बर 2005)। का.अ. ने न तो वसूलनीय राशि दर्शाते हुए अ.वे.प्र.प. निर्गत किया और न ही विरमित करने के पूर्व राशि की वसूली की। इस प्रकार क.अ. को 25.39 लाख रूपये का दुर्विनियोजन करने का अवसर दिया गया जबकि अपूर्ण कार्य पर 69.23 लाख रूपये का व्यय निष्फल साबित हुआ।

का.अ. ने कहा (दिसम्बर 2006) कि क.अ. से राशि की वसूली नहीं की गई थी।

ग्रा.वि.वि.प्र. एवं ग्रा.अ.सं., जमशेदपुर

का.अ., ग्रा.वि.वि प्र., जमशेदपुर ने जमशेदपुर और पोटका प्रखण्डों में तीन कार्यो हेतु एक क.अ. को 9.09 लाख रूपये का अग्रिम दिया (जून 2006)। क.अ.ने बिना लेखा समर्पित किये या विरमित हुए ग्रा.वि.वि.प्र., राँची में योगदान दिया (जुलाई 2006)। राँची में कार्य करते हुए एवं अपने राँची योगदान को गुप्त रखते हुए उन्होने फिर से 3.90 लाख रूपये (29 जुलाई 2006 और 17 अगस्त 2006) ग्रा.वि.वि.प्र., जमशेदपुर से अग्रिम प्राप्त किया। इसका पता पहले चलना चाहिए था क्योंकि राँची एवं जमशेदपुर प्रमंडल एक ही अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.वि. अंचल, जमशेदपुर के अंतर्गत है। उसी समय (अगस्त 2006) से क.अ. ने न तो ग्रा.वि.वि.प्र., जमशेदपुर को सूचित किया न ही राशि वापस किया है। स्थल निरीक्षण से यह विदित हुआ (नवम्बर 2006 और दिसम्बर 2006 के बीच) कि क.अ. द्वारा 5.66 लाख रूपये का आंशिक कार्य क्रियान्वित किया गया था। इस प्रकार क.अ. द्वारा 8.14 द्वारा लाख रूपये का दुर्विनियोजन किया गया।

[1] विधायक योजना-6; जिला योजना-2; मु.मं.ग्रा.से.यो.-8; सं.ग्रा.रो.यो.-15

[2] विधायक योजना-3; जिला योजना-1; मु.मं.ग्रा.से.यो.-4; सं.ग्रा.रो.यो.-7

तदन्तर उसी क.अ. ने ग्रा.अ.सं., जमशेदपुर से 1.46 करोड़ रूपये का अग्रिम प्राप्त किया था (जून 1993 एवं अगस्त 1999 के बीच)। सिंचाई प्रमंडल, वनमंखी में अपने स्थानान्तरण (अगस्त 1999) के पूर्व उसने 1.46 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1.29 करोड़ रूपये का समायोजन प्रमाणक उपस्थापित किया था। तब से क.अ. द्वारा शेष 17.29 लाख रूपये वापस नहीं किये गये। यद्यपि यह मामला लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाया गया (जनवरी 2003 और सितम्बर 2006 के बीच) परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। क.अ. के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने संबंधी मामला, जिसकी वजह से उन्हे ग्रा.अ.सं., जमशेदपुर से 17.29 लाख रूपये एवं ग्रा.वि.वि.प्र., जमशेदपुर से 8.14 लाख रूपये का दुर्विनियोजन करने का मौका दिया गया, लेखापरीक्षा द्वारा स्मारित किया गया तो का.अ.,ग्रा.अ.स., जमशेदपुर ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अनुपालन की प्रतीक्षा थी (जुलाई 2007)।

का.अ.,ग्रा.वि.वि.प्र., जमशेदपुर ने कहा कि (जुलाई 2007) क.अ. को राशि वापस करने हेतु निर्देश दिया गया था लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप क.अ. द्वारा बेकार पड़ी अपूर्ण सरंचना पर 5.66 लाख रूपये के निष्फल व्यय के अतिरिक्त 25.43 लाख रूपये का दुर्विनियोजन किया गया।

उपर्युक्त मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 2007); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2007)।

4.1.2 सरकारी धन का गबन

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.), चन्दवा की रोकड़ बही में फर्जी प्रविष्टि के साथ-साथ प्र.वि.प. द्वारा संहिता प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 5.31 लाख रूपये का गबन।

झारखण्ड कोषागार संहिता (खण्ड-I)के नियम 86(ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन के घटित होते ही शीघ्रातिशीघ्र उस राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में करनी चाहिए और कार्यालय प्रधान द्वारा उसे सत्यापित किया जाना चाहिए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (नि. एवं व्य.प.) द्वारा रोकड़ बही को प्रतिदिन अंतिम शेष, जाँच एवं बन्द करने की प्रक्रिया को करना चाहिए। नि. एवं व्य.प. को रोकड़ बही के योग की जाँच स्वयं या इसे लिखनेवाले के अलावा किसी अन्य उत्तरदायी सहायक द्वारा की जानी चाहिए एवं अद्याक्षर द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित करना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय द्वारा प्रमुख रोकड़ बही में आंकित रोकड़ शेष की जाँच कर, इस आश्य का हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र दिनांक के साथ अंकित करना चाहिए।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स.ग्रा.रो.यो.) के अंतर्गत पी.सी.सी. सड़क के निर्माण की एक योजना (चंदवा चेकनाका से मेन रोड के पेट्रोल पम्प तक, योजना सं. 12/05-06) की तकनीकी स्वीकृति (जुलाई 2005) का.अ.,रा.ग्रा.रो.का., लातेहार द्वारा एवं प्रशासनिक स्वीकृति (अगस्त 2005) उपायुक्त, लातेहार द्वारा 11.46 लाख रूपये के लिए दी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) चन्दवा द्वारा कार्य का विभागीय निष्पादन किया जाना था। तदनुसार, प्र.वि.पदा. एवं पंचायत सेवक के बीच 31 दिसम्बर 2005 तक कार्य समाप्त करने हेतु एक अनुबंध निष्पादित हुआ (अगस्त 2005)।

अभिलेखों (मापी पुस्तिका,सीमेंट हेतु निर्गत किये गये कूपनों, भुगतान अनुसूची, रोकड़ बही इत्यादि) की संवीक्षा से प्रकट हुआ (जनवरी 2007) कि कार्य पूरा कर लिया गया था एवं नवम्बर 2005 में अंतिम मापी ली गयी थी। तथापि, पंचायत सेवक को 11.46 लाख रूपये के बदले 17.44 लाख रूपये (नकद 11.5 लाख रूपये, सीमेंट 5.70 लाख रूपये एवं गेहूँ 0.69 लाख रूपये) का भुगतान किया गया अर्थात उसे 5.98 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया। प्र.वि.प. ने रोकड़ बही की प्राप्ति पक्ष में अंकित किया (31 मार्च 2006) कि 5.31 लाख रूपये पंचायत सेवक से 26 सितम्बर 2005 एवं 30 सितम्बर 2005 के बीच वापस प्राप्त किया गया। यह राशि उन दिनों की कुल प्राप्तियों के योग में न तो प्रदर्शित हुई और न ही 10 मई 2007 तक रोकड़ बही के अंतिम शेष में प्रतिबिम्बित हुई। प्रविष्टि सत्यापित नहीं थी एवं प्रत्येक महीने के अंत में नि. एवं व्य.प. द्वारा रोकड़ बही में रोकड़ शेष प्रमाण-पत्र अंकित नहीं किया गया था।

इसे बताये जाने पर (मई 2007) प्र.वि.प., चन्दवा ने कहा कि अन्तिम भुगतान के समय समायोजन किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अंतिम मापी पहले ही ली जा चुकी थी (नवम्बर 2005) एवं तत्कालीन प्र.वि.प. ने रोकड़ बही में अंकित किया था कि 5.31 लाख रूपये का अधिक किया गया भुगतान पंचायत सेवक द्वारा 31 मार्च 2006 को जमा करा दिया गया था।

इस प्रकार संहिता के प्रावधानों के पालन नहीं होने एवं पंचायत सेवक से वसूल की गई राशि को प्राप्ति पक्ष के कुल योग के साथ-साथ अंतिम शेष में भी प्रतिबिम्बित नहीं होने के परिणामस्वरूप 5.31 लाख रूपये का गबन, प्र.वि.प., चन्दवा द्वारा रोकड़ बही में फर्जी प्रविष्टि कर किया गया एवं साथ-ही-साथ 0.67 लाख रूपये पंचायत सेवक द्वारा रोक कर रखा गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

पथ निर्माण विभाग

4.1.3 सरकारी धन का कपटपूर्ण भुगतान

रमकन्डा भण्डरिया पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण में डब्ल्यू.बी.एम.कार्य हेतु माप पुस्तिका में स्टोन मेटल एवं मूरम खपत की ज्यादा माप अभिलेखित करने के परिणामस्वरूप 26.39 लाख रूपये का कपटपूर्ण भुगतान।

रमकन्डा-भण्डरिया पथ के 31वें कि.मी. से 49.20वें कि.मी. तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की 2.04 करोड़ रूपये की प्रशासिनक स्वीकृति (मार्च 1998) एवं 2.33 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति (नवम्बर 1998) पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। अप्रैल 2000 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार के साथ 2.32 करोड़ रूपये का अनुबंध किया गया (अगस्त 1999)। का.अ., पथ निर्माण प्रमंडल, गढ़वा के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2003) में यह पाया गया कि पथ के वाटर बाऊंड मैकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) स्तर (350 मी.मी.) तक का कार्य स्टोन मेटल ग्रेड-। (100 मी.मी.), स्टोन मेटल ग्रेड-।। (75 मी.मी.), स्टोन मेटल ग्रेड-।।। (75 मी.मी) एवं मूरम (100 मी.मी.) द्वारा तैयार किया जाना था। भुगतान प्रमाणक (मार्च 2003) से प्रदर्शित हुआ कि 34107.81 वर्ग मी. डब्ल्यू.बी.एम. कार्य किया गया जिसमें

स्वीकृत प्राक्कलन/अनुबंध के अनुसार **3410.78** घन.मी.[3] स्टोन मेटल ग्रेड-I, **2558.08** घन मी.[4] स्टोन मेटल ग्रेड-II एवं ग्रेड-III एवं **3410.78** घन मी.[5] मूरम कार्य की आवश्यकता थी। परन्तु इसके विरूद्ध का.अ. द्वारा माप पुस्तिका में **4652.93** घन मी. ग्रेड-I, **3502.17** घन मी. स्टोन मेटल ग्रेड-II, **3503.73** घन मी स्टोन मेटल ग्रेड -III एवं **4547.62** घन मी. मूरम की खपत को दर्ज किया गया। कुल **1242** क्यू मी स्टोन मेटल ग्रेड-I, **944.09** घन मी. स्टोन मेटल ग्रेड-II, **945.65** घन मी. स्टोन मेटल ग्रेड -III एवं **1136.84** घन मी. मूरम की माप पुस्तिका में स्फीति माप अभिलेखित किये जाने के फलस्वरूप **26.39** लाख रूपये का गबन किया गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर **2007**) कि **15** प्रतिशत तक का अधिक भुगतान अधीक्षण अभियंता की शक्तियों के अन्तर्गत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि गणना के आधार पर अधिक कार्यान्वयन/भुगतान की कोई गुंजाईश नहीं थी।

मानव संसाधन विकास/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.1.4 सरकारी धन की घोखाधड़ी/गबन

संहिता के प्रावधानों के उल्लंधन के परिणामस्वरूप 2.10 लाख रूपये के राजस्व की धोखाधड़ी एवं 83,426 रूपये का गबन।

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.) (खण्ड-I) के नियम **86(ii)** के प्रावधानों के अनुसार सभी मौद्रिक लेन-देन घटित होने के बाद यथाशीध्र इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी चाहिए एवं कार्यालय प्रधान द्वारा सत्यापित होना चाहिए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (नि. एवं व्य.प.) द्वारा प्रतिदिन रोकड़बही को संतुलित, बंद एवं जाँच की जानी चाहिए। तदन्तर, जे.टी.सी. (खण्ड-I) के नियम **7** के अनुसार राजस्व के रूप में सरकारी सेवक द्वारा प्राप्त सभी धन, अबिलम्ब कोषागार या बैंक में पूरा जमा होगा।

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मधुपुर महाविद्यालय, दुमका (फरवरी **2007**) एवं राज्य के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य संस्था, राँची (मार्च **2007**) के अभीलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि प्राचार्य, मधुपुर महाविद्यालय दुमका एवं सचिव,राज्य प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य समिति (रा.प्र.एवं शि.स्वा.स.), राँची द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का अनुसरण नही किये जाने के परिणामस्वरूप महाविद्यालय राजस्व के **2.10** लाख रूपये की घोखाधड़ी एवं **83,246** रूपये का गबन हुआ, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

मधुपुर महाविद्यालय (सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय)

अप्रैल एवं अक्टूबर **2001** के दौरान संग्रहित महाविद्यालय राजस्व के **2.10** लाख रूपये को न तो रोकड़बही में लेखापित किया गया और न ही इसे सितम्बर **2003** तक बैंक

---

[3] आवश्यकता (आयतन घ.मी. में) कुल क्षे. फ. x स्टोन मे. I की मुटाई (100 मी मी) =34107.81 मी ^{2}x 0.01 मी =34107.81 मी^{3}

[4] आवश्यकता (आयतन घ.मी. में) कुल क्षे. फ. x स्टोन मे. II और III की मुटाई (75 मी मी) उ34107.81 मी ^{2} x 0.07 मी =2558.08 मी^{3} प्रत्येक

[5] आवश्यकता (आयतन घ.मी. में) कुल क्षे. फ. x मूरम की मुटाई (100 मी मी)=34107.81 मी ^{2} x 0.10 मी = 3410.78 मी^{3}

में जमा किया गया। इसमे से 0.50 लाख रूपये 24 से 29 माह के बिलम्ब से जमा किया गया (अक्टूबर 2003) जबकि लेखापरीक्षा मे उजागर होने पर 69 माह के विलम्ब से 1.60 लाख रूपये जमा किये गये (फरवरी 2007)।

इस प्रकार संहितीय प्रावधानों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पालन नही किये जाने एवं संग्रहित राशि को बैंक में जमा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 2.10 लाख रूपये की महाविद्यालय राजस्व की राशि का अस्थाई रूप से धोखाधड़ी की गई जिसमें 1.60 लाख रूपये की राशि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली और जमा की गई।

सरकार ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2007) कि लेखा परीक्षा अवलोकन के आलोक मे दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की गई थी।

राज्य प्रजन्न एवं शिशु स्वास्थ्य समिति, राँची

जिला प्र.एवं शि.स्वा.स., दुमका का तुलन पत्र दर्शाता था कि 31 मार्च 2005 को सचिव, जिला प्र.एवं.स्वा.स., दुमका के बैंक शेष में 2.34 करोड़ रूपये एवं रोकड़ शेष में 88,249 रूपये थे। तथापि, असैनिक शल्य चिकित्सक सह सचिव, जिला रा.प्र.एवं शि.स्वा.स., दुमका (कार्यालय प्रधान) द्वारा 1 अप्रैल 2005 से एक सहायक रोकड़ पंजी का संधारण शुरू किया गया जिसमें यह उल्लिखित था कि 83,426 रूपये का रोकड़ शेष उनके पास नहीं था एवं तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सचिव, जिला प्र.एवं शि.स्वा., दुमका द्वारा अन्य कोई लेखा उन्हें हस्तगत नहीं कराया गया था। कार्यालय प्रधान द्वारा 83.426 रूपये के शेष राशि के बिना अलग रोकड़ पंजी का संधारण झा.को.सं. के नियम 86 के प्रावधानों के प्रतिकूल था। असैनिक शल्य चिकित्सक सह सचिव, जिला प्र.एवं शि.स्वा. सचिव, दुमका द्वारा राशि की वसूली हेतू अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका के विरूद्ध मार्च 2007 तक कोई कारवाई नही की गई।
इस प्रकार, संहिता प्रावधानों (झा.को.सं. के नियम 86) के अन्तर्गत आवश्यक रोकड़ शेष का सत्यापन करने में कार्यालय प्रमुख की असफलता के कारण 83,426 रूपये का गबन हुआ।

सरकार द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2007)कि प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी एवं मामले का अनुसंधान किया जा रहा था।

4.2 अधिक भुगतान/निरर्थक/व्यर्थ व्यय

मानव संसाधन विकास विभाग

4.2.1 शिक्षण भत्ता के अधिक भुगतान की वसूली नहीं होना

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात अस्वीकार्य शिक्षण भत्ते की वसूली नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 9.58 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान।

तत्कालीन बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मार्च 1989 से 100 रूपये प्रति माह की दर से शिक्षण भत्ता स्वीकार्य था। इसे तथापि, बिहार सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुशंसा (फरवरी 1999) पर 1 जनवरी 1996 के भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राँची के अभिलेखों से यह देखा गया (फरवरी 2006) कि राज्य के 63901 शिक्षकों द्वारा 1 जनवरी 1996 से फरवरी 1999 तक 100 रूपये प्रति महीने का शिक्षण भत्ता, आहरित किया गया। संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि बिहार सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के दौरान यद्यपि अप्रैल 1997 से फरवरी 1999 की अवधि का शिक्षण भत्ता, समायोजित कर लिया गया (2000-2004) परंतु 1 जनवरी 1996 से 31 मार्च 1997 की अवधि का शिक्षण भत्ता समायोजित नहीं किया गया (मार्च 2007)। मामले निरीक्षण प्रतिवेदन के द्वारा उठाये गये (2002-03 एवं 2003-04), परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार अस्वीकार्य शिक्षण भत्ता की वसूली न होने के परिणामस्वरूप 9.58 करोड़ रूपये का पूरे राज्य के लिए आधिक भुगतान किया गया।

सरकार ने लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2007) एवं वसूली हेतु निर्देश जारी किया।

4.2.2 अधिक भुगतान

राँची विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के गलत वेतन नियतन के कारण 4.44 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 जनवरी 1996 से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझावों को स्वीकार किया (जुलाई 1998)। मंत्रालय ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को, वेतन नियतन के लिये एक सूत्र और पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन को नियत करने के लिये एक शीध्रगणक निर्गत किया। झारखण्ड सरकार ने उस सूत्र और शीध्रगणक को राज्य के विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों के बीच कार्यान्वयन के लिये इस सुझाव के साथ परिचालित किया (नवम्बर 2001) कि राज्य के सृजन की तिथि 15 नवम्बर 2000 से भुगतान को चालू किया जायेगा।

राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका और विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों और महाविद्यालयों के लिये वेतन नियतन सारणी को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2003 में अनुमोदित किया गया। वेतन नियतन सूत्र के अनुसार नये वेतनमान में वेतन नियतन हेतु वर्तमान वेतन ज्ञात करने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अंतरिम सहायता की प्रथम और द्वितीय किस्त को गणना में लेना था।

जनवरी से जून 2006 के दौरान लेखापरीक्षा की जाँच तथा जून 2007 में एकत्रित सूचनाओं से स्पष्ट हुआ कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंतरिम सहायता की प्रथम तथा द्वितीय किस्त न तो स्वीकृत की गयी और न ही इसका भुगतान किया गया, किन्तु वेतन को नये वेतनमान में नियत करने समय इसे गणना में लिया गया। इसके फलस्वरूप झारखण्ड के तीन विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2007 के बीच उच्चतर वेतन एवं महँगाई भत्ते के रूप में 4.44 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2007) कि इस मामले पर विचार किया जायेगा और तदनुसार लेखा परीक्षा को इसकी सूचना दी जायेगी।

जल संसाधन विभाग

4.2.3. अपव्यय

परामर्शी की सहायता से ग्राम भागीरथी योजना के लिए निधि सुनिश्चित करने में असफलता के परिणामस्वरूप परामर्शी पर 9.65 करोड़ रूपये का अपव्यय।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा 2.68 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा ग्राम भागीरथी योजना (ग्रा.भा.यो.) की शुरूआत की गई थी (2001)। इसके अन्तर्गत परामर्शी नियुक्त करके पूरे राज्य की सिंचाई हेतु एक मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव था ताकि बाहरी वित्तीय संस्थानों[6] (वि.सं.) से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। परामर्शी कार्य मार्च 2002 तक पूर्ण करते हुए मार्च 2007 तक सिंचाई क्षमता को सृजित करना था।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एप्रोच पेपर बनाना, जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) द्वारा प्रदत्त सभी योजनाओं के लिए जिलावार संभाव्यता प्रतिवेदन बनाना, पुनः इसकी स्वीकृति के बाद कार्य के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) बनाना, आँकड़ा विश्लेषण एवं मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए खाँका तैयार करने जैसी बातें परामर्शी के कार्य में शामिल थी। इसके अतिरिक्त, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परिचालन मार्गदर्शिका भी परामर्शी द्वारा विकसित किया जाना था।

जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, योजना एवं अनुश्रवण द्वारा निविदा (अक्टूबर 2001) के उपरान्त ज.सं.वि. के सचिव द्वारा छः परामर्शियों को परामर्शी कार्य दिया गया (मार्च 2002)। कुल 2.68 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता (मार्च 2007 तक) प्राप्त करने लिए 9675 योजनाओं का परामर्श सेवा (मार्च 2003 तक) हेतु अगस्त 2002 और सितम्बर 2007 के बीच कार्यपालक अभियंता (का.अ.), योजना एवं अनुश्रवण प्रमण्डल सं.-I, राँची द्वारा परामर्शियों के साथ कुल 9.71 करोड़ रूपये के छः अनुबन्ध क्रियान्वित किये गए।

अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2007) से यह विदित हुआ कि विभाग ने परामर्शियों से निविदा कागजात प्राप्त करने के बाद शर्त्तों एवं बंधों को बदल दिया (जनवरी 2003) और का.अ.,यो.अ.प्र. द्वारा परामर्शियों के साथ अनुबन्ध के समय एप्रोच पेपर की स्वीकृति एवं संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के पूर्व वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई शर्त नहीं रखा गया। वित्तीय संस्थानों द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन की स्वीकृति संबंधी शर्ते हटा दी गयी, यद्यपि यह निविदा शर्तों में शामिल था। इस प्रकार जल संसाधन विभाग द्वारा एप्रोच पेपर की स्वीकृति एवं वि.प.प्र. तैयार करने के पूर्व वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन की स्वीकार्यता एवं परामर्शियों के भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया गया। परामर्शियों द्वारा फरवरी 2004 और मई 2004 के बीच 1007 करोड़ रूपये की प्राक्कलित राशि की 9053 योजनाओं का वि.प.प्र. उपस्थापित किया गया जिनकी सिंचाई क्षमता 2.83 लाख हेक्टेयर निर्धारित

[6] विश्व बैंक (वि.बै.)। एशियाई विकास बैंक (ए.वि.बै.)

की गई थी एवं इसके लिए उन्हें 9.65 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया (फरवरी 2005)। परामर्शियों द्वारा मानचित्र वाला सी.डी. भी उपस्थापित किया गया परन्तु जल संसाधन विभाग द्वारा इसके विश्लेषण हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर प्राप्त नहीं किया गया। एप्रोच पेपर बिना स्वीकृति के रह गया एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई। झारखण्ड सरकार द्वारा मई 2007 तक विभिन्न कार्यो के निर्माण हेतु 1007 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) नहीं दी गयी थी। चूँकि परियोजना शुरू नहीं की गयी इसलिए परामर्शियों ने भी परिचालन मापदण्ड विकसित नहीं किया।

इस प्रकार, जल संसाधन विभाग द्वारा एप्रोच पेपर की स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असफलता के कारण परामर्शियों की नियुक्ति का मुख्य उद्येश्य, जो कि परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना था, पूरा नही हो सका। पुनः पर्याप्त संसाधन एवं प्र.स्वी. के अभाव में परियोजना विफल रही एवं वि.प.प्र. के लिए परामर्शियों को भुगतान की गई 9.65 करोड़ रूपये की राशि अपव्ययी व्यय साबित हुआ।

सरकार ने कहा (जून और नवम्बर 2007) कि संसाधन उत्पन्न करना ग्रा.भा.यो. का वास्तविक उददेश्य नहीं था जबकि विभिन्न प्रायोजित योजनाओं जैसे काम के बदले अनाज एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत इन योजनाओं का क्रियान्वयन उपायुक्तों को अग्रसारित कर दिया गया था इसलिए प्र.स्वी. नही दी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परामर्शियों की नियुक्ति ग्रा.भा.यो. हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए की गयी थी न कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिनकी अलग मार्गदर्शिका है एवं जिसके वि.प.प्र. तैयार करने हेतु किसी परामर्शी की आवश्यकता नहीं है, के अन्तर्गत उनके क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक योजना को उपायुक्तों को अग्रसारित करना था। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं। निविदा के बाद शर्तो और बंधों में परिवर्तन से जल संसाधन विभाग वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहा और इस प्रकार योजना का मुख्य उददेश्य प्राप्त नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप 9.65 करोड़ रूपये का अपव्यय हुआ।

ग्रामीण विकास विभाग

4.2.4 श्यामसुन्दरपुर में स्वर्णरेखा नदी पर पुल के निर्माण में अतिरिक्त लागत

पुराने संवेदक के कार्य को रद्द करके पाइल नींव पर शेष स्तम्भों के स्थापित करने का कार्य नये संवेदक को आबंटित करने संबंधी अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत

श्यामसुन्दर में स्वर्णरेखा नदी पर 278.96 मीटर लम्बे पुल के निर्माण के लिए 2.41 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (मु.अ.) ग्रा.वि.वि., राँची द्वारा (मई 2002) एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रदान की गयी (अगस्त 2007)। निविदा (जून 2002) के उपरान्त, 2.34 करोड़ रूपये पर एक संवेदक को नवम्बर 2003 तक पूर्ण करने के लिए कार्य आबंटित किया गया (अगस्त 2002)।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (ग्रा.वि.वि.प्र.), जमशेदपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2006) से उद्घटित हुआ कि संवेदक ने कैप स्तर तक चार स्तंभो एवं दो पीलपायों का निर्माण करने के बाद (सितम्बर 2004) कार्य इस आधार पर बंद कर दिया कि बारहमासी जल क्षेत्र में स्तंभों के निर्माण संबंधी प्राक्कलन

में खुली नींव का प्रावधान उपयुक्त नहीं था और विशिष्टताओं में पाइल नींव के परिवर्तन के लिए आग्रह किया (सितम्बर 2004)। विभाग मेकॉन से सम्पर्क करने के बाद इस पर सहमत नहीं हुआ और संवेदक को स्वीकृत प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुरूप कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया। संवेदक द्वारा पुनः कार्य शुरू नहीं किया गया। का.अ. द्वारा अंतिम मापी (सितम्बर 2005) के उपरान्त अनुबंध को रद्द कर दिया गया (अक्टूबर 2005)। सितम्बर 2004 तक किये गये कार्य के लिए संवेदक को मार्च 2006 तक 82.36 लाख रूपये का भुगतान किया गया। बचे हुए कार्य के लिए मु.अ. द्वारा अद्यतन अनुसूचित दर (दिसम्बर 2004) पर 2.69 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृती (नवम्बर 2005) दी गयी जिसमें शेष स्तम्भों के निर्माण के लिए पाइल नींव का प्रावधान शामिल था। मु.अ. द्वारा 2.57 करोड़ रूपये के कार्य को टर्न की आधार पर 12 महीने के अन्दर पूर्ण करने हेतु दूसरे संवेदक को आवंटित किया गया (दिसम्बर 2006)। संवेदक ने कार्य पूर्ण किया (जनवरी 2007) एवं 2.57 करोड़ रूपये प्राप्त किया (फरवरी 2007)। जिसके परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये (2.57 करोड़ रूपये घटाव 1.52 करोड़ रूपये) की अधिक लागत लगी।

इस प्रकार, इस आधार पर कि स्तंभों के निर्माण में पाइल नींव की आवश्यकता नहीं थी, पहले अनुबंध को निरस्त कर संवेदक को कार्य रोकने के लिए बाध्य किया गया। पाइल नींव पर स्तंभों का निर्माण कार्य दूसरे संवेदक को आवंटित करने एवं उच्च दर पर कार्य निष्पादित होने के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत लगी।

का.अ. ने कहा कि (सितम्बर 2006) सरकार के आदेशानुसार मूल कार्य को रद्द किया गया एवं शेष कार्य कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पुनरीक्षित प्राक्कलन में स्तंभों के निर्माण हेतु पाइल नींव का प्रावधान विभाग द्वारा अन्ततः शामिल किया गया। यदि इस पर सितम्बर 2004 में, संवेदक के प्रस्ताव के आधार पर विचार किया गया होता तो 1.05 करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2006 एवं मई 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

4.2.5 अपव्ययी व्यय

अस्पताल भवन का निर्माण कार्य गोचर भूमि[7] पर शुरू करने के कारण कार्य को रोक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण निर्माण पर 46.80 लाख रूपये का अपव्ययी व्यय हुआ।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (सं.प.का.अ.) (अनुपूरक नियम) (अ.नि.) 1949 की धारा 38, (उप धारा-I) के अनुसार गोचर भूमि के रूप में अभिलेखित भूमि का चारागाह के अलावा अन्य कार्य में उपयोग नही किया जा सकता। तथापि, अधिनियम की धारा 2 (उप धारा-I) के अनुसार सरकार उक्त भूमि पर निर्माण नहीं करने संबंधी निषेध हटा सकती है। इस प्रकार, गोचर भूमि की पुनः अधिसूचना, कार्य शुरू करने के पूर्व ही अनुमान्य है, बाद में नही।

का.अ., ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पाकुड़ के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2007) से उद्घटित हुआ कि पाकुड़ जिला के सोलागरही में 100 शय्या वाले अस्पताल निर्माण

[7] मवेशी चरागाह हेतु भूमि

कार्य के लिए 5.73 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र, राँची द्वारा (जुलाई 2006) एवं 3.91 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.)उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा प्रदान की गयी (जुलाई 2006)। यद्यपि अस्पताल भवन के निर्माण में विद्युतीकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं अन्य विविध कार्य शामिल थे फिर भी प्रशासनिक स्वीकृति सिर्फ भवन निर्माण अंश के लिए थी, बिना इस तथ्य को समझते हुए कि अन्य मुख्य घटकों के बिना अस्पताल क्रियाशील नहीं हो सकेगा। का.अ. द्वारा कार्य का विभागीय रूप से निष्पादन शुरू किया गया (अगस्त 2006) लेकिन उपायुक्त द्वारा रोक लगा दी गयी (अक्टूबर 2006) क्योंकि निर्माण स्थल चारागाह भूमि (गोचर भूमि) थी एवं अतिक्रमण, सं.प.का.अ. के अनुभाग 38 उप अनुभाग-I के उपबंधों का उल्लंघन था। सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं उपायुक्त द्वारा गोचर भूमि के बदले उतनी ही भूमि का अलग प्रावधान करके निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कराया गया (नवम्बर 2006) जो कि अधिनियम के अनुसार अनुमान्य नहीं था। एक जनहित याचिका दायर की गई (दिसम्बर 2006) एवं उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया गया। इस बीच 213 नीवों एवं 148 स्तम्भों के निर्माण पर का.अ. द्वारा 46.80 लाख रूपये व्यय किये जा चुके थे। सरकार द्वारा भूमि को पुनः अधिसूचित करने की कोशिश की गई (मई 2007)। पुनः अधिसूचना संभव नहीं थी क्योंक निषेध हटाये बिना निर्माण कार्य जारी था। उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर हमेशा के लिए रोक लगाते हुए (अगस्त 2007) सरकार को यह निर्देश दिया गया कि निर्माण कहीं और स्थानान्तरित करे। इस प्रकार 213 नीवों एवं 148 स्तम्भों के निर्माण पर 46.80 लाख रूपये का खर्च अपव्ययी व्यय साबित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल एवं मई 2007); उनके उत्तर प्राप्त नही हुए थे (नवम्बर 2007)।

4.2.6 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की निधि का अपव्ययी व्यय/विचलन

उप विकास आयुक्त द्वारा अनुसरण की कमी एवं परामर्शी द्वारा समय पर परिप्रेक्ष्य योजना जमा नहीं करने एवं एन.एफ.डब्ल्यू.पी. योजना के दिशानिर्देशो की अवहेलना के परिणामस्वरूप 3.88 करोड़ रूपये का अपव्यय/विचलन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) की शुरूआत (नवमबर 2004) में अकुशल मजदूरों को मजदूरी प्रदान करने एवं जल संरक्षण, सूखा निवारण, वनरोपण इत्यादि के लिए उत्पादनकारी संपत्तियों का सृजन करने हेतु किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी. आर.डी.ए.) द्वारा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु परिप्रेक्ष्य योजना बनाना था।

डी.आर.डी.ए., पाकुड़ एवं चतरा के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2007) से यह प्रकट हुआ कि एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के दिशानिर्देशों के विपरीत 2005-06 के दौरान एन. एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. की निधि से 3.33 करोड़ रूपये पंचायत भवनों (82), सामुदायिक भवनों (10) एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर खर्च किए गए। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम की परिकल्पना के प्रतिकुल अनुत्पादक एवं सामग्री आधारित परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया।

तदन्तर, 12 डी.आर.डी.ए.[8] के अभिलेखों की संविक्षा (मार्च 2007 एवं सितम्बर 2007 के बीच) से यह प्रकट हुआ कि उप विकास आयुक्त (डी.डी.सी.) द्वारा दिसम्बर 2004 से जनवरी 2005 के दौरान परामर्शियों की नियुक्ति, मार्च 2005 तक पंचवर्षीय संदर्श योजना बनाने हेतु की गई। परामर्शियों को मई-अगस्त 2005 के दौरान 54.64 लाख रूपये का भुगतान किया गया। डी.आर.डी.ए., चतरा एवं लातेहार से संबंधित संदर्श योजना नवम्बर 2005 में जमा की गयी जबकि डी.आर.डी.ए., पाकुड, जामताड़ा, चाईबासा एवं पलामू की संदर्श योजना मई 2007 तक प्रस्तुत नहीं की गयी। तथापि, डी.आर.डी.ए., दुमका, गढ़वा गुमला, लोहरदगा, साहेबगंज एवं सरायकेला-खरसावाँ की संदर्श योजना, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम बन्द करने के बाद तैयार की गयी।

इस प्रकार, अकुशल मजदूरों को श्रम रोजगार के परिकल्पित लाभ को अस्वीकार कर वैसे कार्यों के निर्माण में 3.33 करोड़ रूपये का अपव्यय किया गया जो एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. में शामिल नहीं था एवं डी.डी.सी. के द्वारा अनुसरण के अभाव के कारण परामर्शियों द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा भारत सरकार द्वारा एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. को समाप्त किये जाने से संदर्श योजना के निर्माण पर 54.64 लाख रूपये का व्यय अपव्यय सिद्ध हुआ।

इसे बताये जाने पर (मार्च 2007) डी.डी.सी. पाकुड़ ने कहा कि पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण स्थायी परिसम्पत्ति थी। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि 3.33 करोड़ रूपये अनुत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य पर व्यय किये गये जो एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. में पूर्वनिर्दिष्ट नहीं था।

संदर्श योजना के संबंध में डी.डी.सी पाकुड़, चतरा एवं चाईबासा ने स्वीकार किया (मार्च 2007) कि एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरूआत संदर्श योजना के पूर्ण होने के पहले की गई थी। डी.डी.सी. जामताड़ा ने कहा (जनवरी 2007) कि संदर्श योजना को फरवरी 2006 के बाद पूर्ण किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)

वन एवं पर्यावरण विभाग

4.2.7 अकेसिया प्रजाति के प्रतिबंधित पौधे के वनरोपण पर अपव्ययी व्यय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.स.) के आदेशों का उल्लंधन कर अकेसिया प्रजाति के वनरोपण के फलस्वरूप 87.92 लाख रूपये का अपव्ययी व्यय।

प्र.मु.व.सं. झारखंड, राँची द्वारा निर्गत आदेश (मार्च 1998 एवं दिसम्बर 2006) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण हेतु अकेसिया प्रजाति का न तो किसी क्षेत्र में वनरोपण करना था न ही किसी पौधशाला में इसे उगाना था। इसके बदले केवल फलदार वृक्ष लगाने थे। तदन्तर, पौधशाला में पौधे रखने या उसे रोपने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करनी थी।

वन प्रमंडल पदाधिकारी (व.प्र.प.), वनरोपण प्रमंडल, गिरिडीह के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2006) में देखा गया कि पूर्ण पाबंदी के बावजूद 2004-06 के दौरान अवकृष्ट

[8] चतरा, चाईबासा, दुमका, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज एवं सरायकेला-खरसाँवा।

वनों के पुर्नवास, लघु वन पदार्थ एवं भू-संरक्षण आदि योजनाओं के अंतर्गत 87.92 लाख रूपये व्यय कर 6.25 लाख अकेसिया प्रजाति के पौधे लगाये गये।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2006) व.प्र.प., गिरिडीह ने कहा कि प्रजातियों का चयन ग्रामीणों की पसंद एवं मिट्टी की उपयुक्तता के अनुसार किया गया था। व.प्र.प., गिरिडीह का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि अकेसिया प्रजाति के वनरोपण पर पूर्ण पाबंदी थी। तदन्तर, योजनाओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि प्रजातियों का चयन ग्रामीणों की पसंद के अनुसार होगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2007)।

4.3 परिहार्य/निष्फल व्यय

पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण संगठन

4.3.1 निष्क्रिय पथ एवं पुल पर निष्फल व्यय।

पथ को द्विविभाजित करने वाली नदी के उपर पुल निर्माण पर विचार किये बिना पथ निर्माण कार्य शुरू किये जाने एवं बाद में पहुँच पथ के अनुमोदन के बिना पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति के परिणामस्वरूप निष्क्रिय पथ एवं पुल पर 1.43 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दुर्गापुर-शिवपहाड़ पथ (पथना-हीरापुर पथ का 2 कि.मी. का अंश) के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा (फरवरी 2002) एवं 44.19 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा प्रदान की गई (अगस्त 2002)। संवीक्षा (फरवरी और अप्रैल 2007 के बीच) से उद्घटित हुआ कि मुहब्बतपुर के पास करनी नदी द्वारा पथ को द्विविभाजित किया जा रहा था लेकिन ग्रा.अ.सं. द्वारा नदी के उपर पुल निमाण की स्वीकृति नहीं दी गई थी। मुख्य अभियंता (मु.अ.) द्वारा 28.87 लाख रूपये पर 1.8 किमी लम्बे पथ का निर्माण कार्य एक संवेदक को आवंटित किया गया (जुलाई 2002) जिसने कार्य को पूर्ण किया (अगस्त 2005) एवं 26.24 लाख रूपये प्राप्त किया (फरवरी 2006)

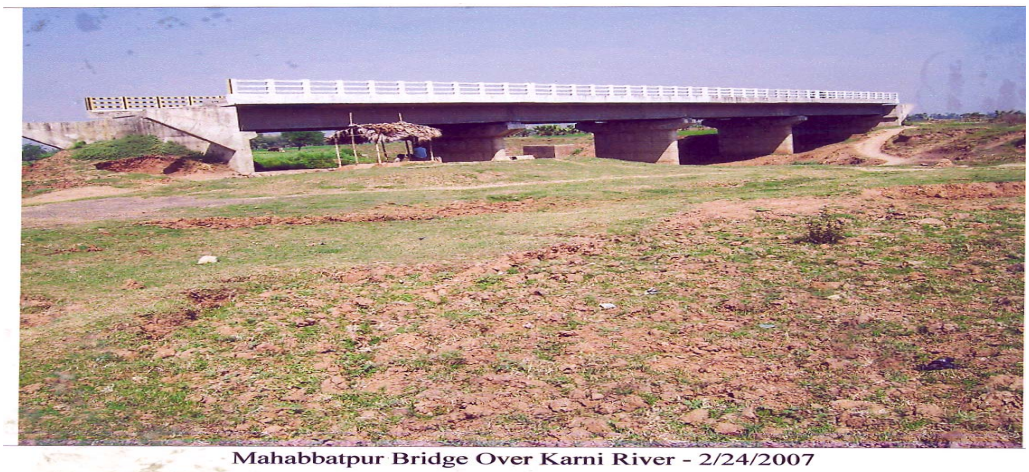

Mahabbatpur Bridge Over Karni River - 2/24/2007

जब पथ निर्माण कार्य प्रगति में था, तब पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा करनी नदी के उपर पुल निर्माण स्वीकृत किया गया (नवम्बर 2002) लेकिन ग्रा.अ.सं. द्वारा

निर्माणाधीन पथ और पुल के बीच के पहुँच पथ के निर्माण पर प.नि.वि. द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। एप्रोन एवं पहुँच पट्टी को छोड़कर पुल का कार्य 1.17 करोड़ रूपये की लागत पर पूर्ण हुआ (अप्रैल 2004)।

पहुँच पथ के अभाव में पुल अप्रैल 2004 से ही निष्क्रिय पड़ा था जबकि पुल द्वारा संपर्क के अभाव में पथ को अगस्त 2005 से ही उपयोग में नहीं लाया जा सका था। आवश्यक निजी जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव वाले पहुँच पथ के 75.02 लाख रूपये के प्राक्कलन को सरकार द्वारा अप्रैल 2007 तक स्वीकृत नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पहुँच पथ के बिना पुल एवं पथ कार्य को स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप पुल एवं पथ अप्रैल 2004 से ही अपूर्ण एवं निष्क्रिय रहे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007) और उन्होने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

गृह (कारा)/भवन निर्माण विभाग

4.3.2 अपूर्ण कैदी बैरक पर निष्फल व्यय

वर्तमान कारा के संकुलन को कम करने हेतु अतिरिक्त बैरकों का निर्माण पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप अपूर्ण एवं अव्यवहृत सरंचना पर 2.84 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय इसके अतिरिक्त 42.76 लाख रूपये का सात वर्षो से बिना व्यय किये रखा जाना।

चाईबासा, दुमका, गोडडा, गुमला, सरायकेला एवं सिमडेगा जिले के 1166 बंदियों की क्षमता वाले जिला/उप कारा में संकुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा 1300 अतिरिक्त बंदियों के रहने हेतु 13 बैरकों के निर्माण के लिए 3.05 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई (मार्च 1999 और 2003 के बीच)। बैरक का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा होना था जबकि राशि गृह (कारा) विभाग द्वारा प्रदान किया जाना था।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल (भ.नि.प्र.) चाईबासा, दुमका, गोड्डा और गुमला, मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं कारा महानिरीक्षक के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2006 और जून 2007) से उद्घटित हुआ कि विद्युतीकरण, स्वच्छता, पेयजल एवं सुरक्षा हेतु चारदीवारी के अभाव में 13 बैरकों में से कोई भी बैरक पूर्ण नहीं हुआ एवं गृह (कारा) विभाग को मई 2007 तक हस्तगत नहीं कराया गया जैसा कि ब्यौरा नीचे है:

(राशि लाख रूपये में)

क्रम सं.	कारा का नाम	स्वीकृत बैरकों की सं.	प्राक्कलित राशि	व्यय	अभ्युक्तियाँ
1	उप-कारा सरायकेला	2	55.54	40.00	एक मामले में केवल प्लीन्थ स्तर तक का निर्माण हुआ था जबकि दूसरे में विद्युतीकरण के अभाव में अपूर्ण एवं अव्यवहृत पड़ा था।
2	जिला कारा चाईबासा	1	31.87	29.14	6.04 लाख रूपये की शेष राशि नहीं मिलने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था

					(जुलाई 2005), फलस्वरूप 2 वर्षो से अपूर्ण संरचना अव्यवहृत पड़ा था। भवन निर्माण प्रमण्डल में 0.51 लाख रूपये अव्यवहृत पड़े थे।
3	जिला कारा, दुमका	2	79.09	88.42	दोनों बैरकों का निर्माण वर्तमान कारा परिसर के बाहर किया गया था (मार्च 2006)। नवनिर्मित बैरकों में चारदीवारी निर्माण प्राक्कलन में शामिल नहीं था। पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया लेकिन मई 2007 तक स्वीकृत नहीं होने के कारण 14 महीनों से बैरक निष्क्रिय पड़ा था।
4	उप-कारा, गोड्डा	2	30.12	39.50	1.85 लाख रूपये पड़े रहने के बावजूद मुख्य द्वारा एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण अपूर्ण था। फलस्वरूप जून 2005 से बैरकों को व्यवहार में नहीं लाया गया और व्यय निष्फल साबित हुआ।
5	उप-कारा, गुमला	4	41.06	65.31	कार्यपालक आभियंता द्वारा राशि की कमी को कार्य पूर्ण नहीं होने का मुख्य कारण बताया गया। जबकि अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 80 लाख रूपये के आबंटन के विरूद्ध सिर्फ 65.31 लाख रूपये व्यय किये गए, जबकि शेष 14.69 लाख रूपये अव्यवहृत पड़े थे। फलस्वरूप कार्य पूर्ण होने की तिथि (अगस्त 2000) से ही बैरक सात वर्षो तक अवयवहृत पड़ा रहा।
6	उप-कारा सिमडेगा	2	23.85	21.89	कार्यपालक अभियंता द्वारा राशि की कमी को कार्य पूर्ण नहीं होने का मुख्य कारण बताया गया। जबकि अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 47.60 लाख रूपये के आवंटन के विरूद्ध का.अ. द्वारा मात्र 21.79 लाख रूपये व्यय किये गये और 25.71 लाख रूपये अव्यवहृत पड़े थे। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अगस्त 2000 थी।
योग		**13**	**262.07**	**284.26**	

इस प्रकार, बैरकों का निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण कारा की क्षमता को 1166 से 2466 तक नहीं बढ़ाया जा सका। इसी बीच अप्रैल 2007 तक बंदियों की क्षमता में तीन गुणा तक की (3597) वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप दो से सात वर्षो से अव्यवहृत एवं अपूर्ण बैरकों पर 2.84 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ और 42.76 लाख रूपये की राशि को 1999-2000 से ही रोककर रखा गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007) और उनके द्वारा लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा गया कि अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु उचित कार्रवाई की जा रही थी।

ग्रामीण विकास विभाग

4.3.3 पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

पहुँच पथ हेतु निजी जमीन अधिग्रहीत किये बिना राँची जिला के चान्हो प्रखंड के गणेशपुर-मलानी पथ पर दक्षिणी कोयल नदी के ऊपर पुल निर्माण के फलस्वरूप निष्क्रिय पुल पर 93.66 लाख रूपये का निष्फल व्यय।

राँची जिला के चान्हो प्रखंड के गणेशपुर-मलानी पथ पर दक्षिणी कोयल नदी के ऊपर अवगाहन पुल के निर्माण के लिए 99.65 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति उप-विकास आयुक्त, राँची द्वारा प्रदान की गयी (मार्च 2003)। मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, राँची द्वारा 98.09 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2003)। निविदा (जनवरी 2003) के उपरांत मुख्य अभियंता द्वारा एक संवेदक को कार्य आवंटित किया गया (जून 2003) और कार्यपालक अभियंता,(का.अ.) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राँची द्वारा संवेदक के साथ जून 2004 तक कार्य पूर्ण करने (बाद में मार्च 2006 तक बढ़ाया गया) के लिए 98.09 लाख रूपये का एक अनुबंध किया गया। कार्य में पुल का निर्माण एवं पुल के दोनो छोरों पर 100 मीटर का पहुँच पथ सन्निहित था। संवेदक ने 94 प्रतिशत कार्य करने (मार्च 2006) के उपरान्त शेष कार्य को बन्द कर दिया (मार्च 2006) एवं अगस्त 2006 तक 93.66 लाख रूपये प्राप्त किया। पहुँच पथ का निर्माण नहीं कराया जा सका क्योकि पथ का सम्पर्क रैयती जमीन (निजी) में था जिसके ऊपर सरकार कोई कार्य कराने हेतु प्राधिकृत नहीं थी। का.अ. द्वारा पहुँच पथ हेतु 1.10 एकड़ जमीन[9] के अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया गया (अप्रैल 2007)। तथापि, मुख्य अभियंता द्वारा जून 2007 तक भूमि अधिग्रहण हेतु अनुमोदन नहीं किया गया था इसलिए, पहुँच पथ के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, अपूर्ण पुल निष्क्रिय एवं अक्रियाशील रहा (जून 2007जिसके निर्माण पर 93.66 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

4.3.4 संयुक्त फसल कटाई संयंत्रों पर निष्फल व्यय

कृषि निदेशक द्वारा आवश्यकता निर्धारित किये बिना संयुक्त फसल कटाई संयंत्रों की खरीद के परिणामस्वरूप संयंत्र निष्क्रिय पड़े रहे एवं 3.96 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने कृषि यन्त्रीकरण उन्नयन योजना के अंतर्गत 22 संयुक्त फसल कटाई संयंत्र (सं.फ.क.सं.) की खरीद के लिए 3.96 करोड़ रूपये, 18 लाख रूपये प्रति संयंत्र की दर से, की स्वीकृति दी (23 मार्च 2005)। संयुक्त फसल कटाई संयंत्रों को फसलों की कटाई, छटाई एवं पैकिंग के लिए 500 रूपये प्रति घंटा की दर से किसानो को उपलब्ध कराना था। प्राप्ति का 50 प्रतिशत का उपयोग

[9] गणेशपुर-0.55 एकड़ , मलानी-0.55 एकड़

संयंत्रों के रखरखाव, सूचना, प्रचार इत्यादि के लिए किया जाना था एवं शेष राशि को कोषगार में जमा किया जाना था।

अठारह जिला कृषि पदाधिकारी (जि.कृ.प.)[10] एवं चार अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी (अ.कृ.प.)[11] के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2006 एवं सितम्बर 2007) के दौरान विदित हुआ कि कृषि निदेशक (झारखण्ड) ने सं.फ.क.सं. की खरीद हेतु 24 मार्च 2005 को निविदा आमंत्रित किया जिसकी अंतिम तिथि 28 मार्च 2005 थी, इस प्रकार निविदा जमा करने हेतु सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया। कृषि निदेशक (झारखण्ड) द्वारा राज्य के प्रत्येक 22 जि.कृ.प./अ.कृ.प. को एक-एक सं.फ.क.सं. की आपूर्ति हेतु 31 मार्च 2005 को राँची के एक निजी कंपनी के पक्ष में 3.96 करोड़ रूपये का क्रय आदेश दिया गया। तदनुसार सं.फ.क.सं. का वितरण अप्रैल 2005 एवं मार्च 2006 के दौरान किया गया। तथापि, प्राप्ति के बाद से 22 स.फ.क.सं.में से 18, अगस्त 2007 तक निष्क्रिय पड़े हुए थे। सिर्फ 4 सं.फ.क.सं. किसानों को अ.कृ.प., जमशेदपुर, जि.कृ.प. गुमला, सरायकेला-खरसावा एवं राँची द्वारा जनवरी से मार्च 2007 के दौरान एक से 11 घंटे तक के लिए किसानों को उपलब्ध कराया गया। किसानो से दो वर्षो के दौरान सिर्फ 5280 रूपये वसूल किये गये जो रख-रखाव प्रचार इत्यादि पर खर्च को चुकाने के लिए अपर्याप्त थे।

इसे बताये जाने पर जि.कृ.प./अ.कृ.प. ने कहा (जनवरी से जून 2007) कि प्रशिक्षित चालक/प्रचालक के अभाव में सं.फ.क.सं. का उपयोग नहीं किया जा सका। अ.कृ.प., जमशेदपुर एवं लातेहार ने बताया (जुलाई 2006 एवं मई 2007) कि खेतों की आकृति इस प्रकार थी कि सं.फ.क.सं. का उपयोग नहीं किया जा सका। जि.कृ.प., पलामू (डाल्टेनगंज) के अभिलेखों में दर्शाया गया कि संयंत्र का उपयोग अगस्त 2005 में सिर्फ एक दिन के लिए किया गया। कृषि उद्देश्यों हेतु सं.फ.क.सं. को उपयोग में लाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए, अगर कोई प्रयास किये गये, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

इस प्रकार बिना आवश्यकता निर्धारित किये जल्दबाजी में सं.फ.क.सं. की खरीद एवं चालक/प्रचालक को इसके प्रचालन हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 3.96 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2007) और सं.फ.क.स. के बेहतर उपयोग एवं अधिकतम लोगों तक पहुँचाने के लिए किसान विकास केन्द्रों में इनके स्थानान्तरण का निर्णय लिया।

4.3.5 विद्युत विपत्रों पर अधिभार का परिहार्य भुगतान

निधि के उपलब्ध होने पर भी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके द्वारा समय पर विद्युत विपत्र के भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप विलम्बित भुगतान अधिभार के मद में 81.10 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय।

झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद् (झा.रा.वि.प.) उपभोक्ताओं को विपत्र में उल्लिखित देय तिथि के अन्दर ऊर्जा शुल्क के भुगतान के लिए मासिक विपत्र निर्गत करता है। विपत्र

[10] बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, लोहरदगा, पलामू, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसाँवा, सिमडेगा और प. सिंहभूम ।

[11] जमशेदपुर,, कोडरमा, लातेहार एवं पाकुड़ ।

की राशि का नियत तिथि के अन्दर भुगतान नहीं करने पर शुल्क के बकाये पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से विलंबित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) आरोपित होता है, जिसे अगले विपत्र में जोड़ दिया जाता है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बि.कृ.वि.) के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2007) से उद्घटित हुआ कि झा.रा.वि.प. ने राँची कृषि महाविद्यालय (आर.ए.सी.) और राँची पशुचिकित्सा महाविद्यालय (आर.वी.सी.) के अहाते में विद्युत की आपूर्ति की। इस काम के लिये निधियों/अनुदानों के उपलबध होने के बावजूद विश्वविद्यालय विपत्र की राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहा और डी.पी.एस. जमा होने दिया। विश्वविद्यालय ने विद्युत शुल्क के रूप में 3.11 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान कर बकाया को सितम्बर/अक्टूबर 2003 तक चुकता किया जिसमें 81.10 लाख रूपये विलम्बित भुगतान अधिभार के रूप में शामिल था (जून 2000 और सितम्बर 2007 के बीच राँची कृषि महाविद्यालय के लिये और जनवरी 2002 से अक्टूबर 2003 के बीच राँची पशुचिकित्सा महाविद्यालय के लिये)।

इस प्रकार, समय पर विपत्र का भुगतान न करने के कारण विश्वविद्यालय ने विलम्बित भुगतान अधिभार के मद में 81.10 लाख रूपये (राँची कृषि महाविद्यालय 57.83 लाख रूपये और राँची पशु चिकित्सा महाविद्यालय 23.17 लाख रूपये) का परिहार्य व्यय किया।

इसे बताये जाने पर बि.कृ.वि. काँके, राँची के निदेशक (कार्य तथा संयंत्र) ने कहा (सितम्बर 2007) कि विद्युत विपत्रों का नियमित भुगतान इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार द्वारा 2002-03 के पूर्व इस शीर्ष के अंतर्गत कोई निधि स्वीकृत नहीं की गयी थी। वर्ष 2003-04 में अनुदान प्राप्त होने के बाद ही सभी बकाये का भुगतान किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2001-02 के पहले विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत व्यय के आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि विद्युत के विपत्रों के भुगतान पर रोक थी। तदन्तर, 2003-04 के दौरान विश्वविद्यालय ने बकाये विपत्रों और उसपर विलम्बित भुगतान अधिभार के संचित होने के बाद 1.11 करोड़ रूपये के अनुदान की प्राप्ति के विरूद्ध, 1.23 करोड़ रूपये की निधि का विचलन कर 2.34 करोड़ रूपये का भुगतान किया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) और उन्होंने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2007)।

वन एवं पर्यावरण विभाग

4.3.6 निष्फल व्यय

ब्रुड लैक का उत्पादन नहीं होने के फलस्वरूप लाह प्रजाति के वनरोपण पर 2.86 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय।

ग्रामीणों को उचित कीमत पर ब्रुड लैक[12] (लाह कीट डिंब स्थिति) आपूर्ति करने के उद्देश्य से पाँच सरकारी लाह फार्म[13] की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) के दौरान की गई।

[12] ब्रुड लैक लाह उत्पादन के लिए लाह का कीट डिंब स्थिति है, एक मध्यवर्ती जीवधारी रचना।

वन संरक्षक एवं राजकीय वृक्ष विज्ञानी (व.स.और रा.वृ.वि.), झारखंड, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से (दिसम्बर 2006) उद्घटित हुआ कि 2001-02 से 2005-06 के दौरान आवंटित 2.86 करोड़ रूपये, ब्रुड लैक उत्पादन एवं उसे आदिवासियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु लाह विकास योजना के अंतर्गत लाह-पोषक वृक्षों के वृक्षारोपण (मजदूरी एवं सामग्री) पर खर्च किये गये। परन्तु उन फार्मो में ब्रुड लैक का उत्पादन उक्त अवधि के दौरान नहीं किया गया। तदन्तर, संक्रमित (लाहकीटों द्वारा) वृक्षों की संख्या, वृक्षों द्वारा आच्छादित भू-क्षेत्रों, उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य, बिक्री और विक्रय आगम आदि से संबंधित किसी भी अभिलेख का संधारण नहीं किया गया।

मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) ने कहा (अगस्त 2007) कि ब्रुड लैक इनमें से केवल वैसे वृक्षों पर उत्पादित हो सकता है, जो पर्याप्त परिपक्व हों। मु.व.सं. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि ब्रुड लैक एक वर्ष पुराने पौधे पर संक्रमित हो सकता है। इसके अतिरक्त ब्रुड लैक छोटी पोषक प्रजाति के वृक्षों से भी निकाला जा सकता है।

इस प्रकार, पाँच फार्मो की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई और 2.86 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुन 2007); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2007)।

4.4 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/राशि का अवरोधन/संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब; विचलन/निधि का दुरूपयोग

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.4.1 निधि का दुरूपयोग

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए रद्दी वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए अस्तित्व विहिन/रिक्त कार्यालयों के विरूद्ध खरीदे गये वाहनों को अनधिकृत अधिकारियों, निजी संस्थानों आदि को वितरित किये जाने के परिणामस्वरूप 10.85 करोड़ रूपये राशि का दुरूपयोग हुआ जो आकस्मिकता निधि से आहरण के निहित अभिप्राय की अवहेलना थी।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु रद्दी वाहनों के प्रति-स्थापन के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग कों राज्य सरकार द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से 11.32 करोड़ रूपये का अग्रिम स्वीकृत एवं आवंटित किया गया (अक्टूबर 2004 एवं मार्च 2005)।

निराकरण नियम 1952 के प्रावधान के अंतर्गत रद्दी वाहनों के निर्धारण के लिए एक समिति की गठन की आवश्यकता थी एवं वाहनों को रद्दी घोषित करने के लिए मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन आवश्यक था। तदन्तर, वाहनों की आवश्यकता से संबंधित माँग पत्र क्षेत्रीय कार्यालयो से माँगा जाना था।

राज्य प्रजनन शिशु स्वास्थ्य संस्था (प्र.शि.स्वा.सं.), राँची के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि निराकरण नियमों में निहित प्रावधानों के पालन एवं क्षेत्रीय कार्यालयों

[13] किता, पितकी, पिलाराटोली, शहरबेरा, तैमारा।

से माँग पत्र प्राप्त किये बिना विभाग ने 10.85 करोड़ रूपये मूल्य के 296[14] वाहनों की खरीद की (मार्च एवं अप्रैल 2005 के मध्य)। इनमें से 97[15] वाहनों की खरीद अस्तित्व विहिन (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र), रिक्त कार्यालयों (निदेशालय एवं जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य) के विरूद्ध की गयी।

तदन्तर, वाहनों को निजी संस्थानों (51[16]), गैर सरकारी संगठनों (छः एम्बुलेन्स) एवं अनधिकृत अधिकारियों सहित विभिन्न संगठनों के बीच वितरित किया गया। विभाग में अनुश्रवण तंत्र नहीं था। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दर्शाता हो कि निजी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा वाहनों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था जिसके लिए इन्हे प्रदान किया गया था।

इस तरह क्षेत्रीय कार्यालयों से माँग पत्रों को प्राप्त किये बिना अस्तित्व विहीन/रिक्त कार्यालयों के लिए वाहनों की खरीद एवं उनके निजी/गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ बिना किसी निश्चित उद्देश्य के सरकारी संगठनों को किये गये वितरण से 10.85 करोड़ रूपये का दुरूपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, निधि का आहरण आकस्मिकता निधि से किया गया, जहाँ से राशि का आहरण तभी किया जा सकता है जब आपातकालीन एवं अदृश्य व्यय की आवश्यकता हो एवं जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता हो। इन मामलों में इस तरह की परिस्थितियाँ विद्यमान नही थीं। इस प्रकार आकस्मिकता निधि से धन का आहरण, इस निधि को बनाये रखने के अभिप्राय की पूरी तरह से अवहेलना थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2007) कि राशि का आहरण इसलिए आकस्मिकता निधि से किया गया क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक थी तथा वाहनों का क्रय रद्दी वाहनों के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया एवं क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वितरित किया गया।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि एक मामला में राशि का आहरण अक्टूबर में किया गया था एवं सरकार के पास इसे अनुपूरक प्रावधान में शामिल करने के लिए पर्याप्त समय था। पुनः आकस्मिकता निधि से आहरण के लिए वित्तीय वर्ष का नजदीक समापन का शर्त उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त निराकरण प्रतिवेदन, निराकरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं था एवं आवश्यकता क्षत्रीय कार्यालयो से प्राप्त माँग पत्रों के आधार पर नहीं थी।

4.4.2 निधियों को दुरूपयोग

भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिचालन के उद्देश्यों के लिए रद्दी वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए दिये गये वाहनों को निजी संस्थानों में वितरित करने के फलस्वरूप 56.09 लाख रूपये का दुरूपयोग।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (स्वा.एवं.प.क.वि.) झारखण्ड सरकार को 95.22 लाख रूपये मूल्य के (टी.सी.-61.73 लाख रूपये एवं एम्बुलेन्स 33.49 लाख रूपये) 10 ट्रुप कैरियर्स (टी.सी.) एवं पाँच एम्बुलेंस स्वीकृत (जनवरी 2003) एवं प्रदान (अप्रैल 2005) किया गया। इन वाहनों

[14] अम्बेस्डर कार-8, टाटा स्पेशियो-111, एम्बुलेन्स-177

[15] टाटा स्पेशियो-59, अम्बेस्डर-7, एम्बुलेन्स-31

[16] एम्बुलेन्स-42, टाटा स्पेशियो-9

को परिवार कल्याण के उद्देश्यों के परिचालन यथा कम सुविधा या सुविधाविहिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर का संचालन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सीय उपकरणों एवं दवाइयों की ढुलाई हेतु रद्दी वाहनों के प्रतिस्थापन के रूप में प्रदान किये गये थे।

स्वा. एवं प.क.वि. के अभिलेखो की संवीक्षा (मार्च 2007) से यह प्रकट हुआ कि सचिव ने जून एवं दिसम्बर 2005 के दौरान आठ टी.सी. एवं एक एम्बुलेन्स को सात[17] निजी संस्थानों को वितरण हेतु आदेश दिया (अप्रैल 2005 एवं जुलाई 2005)। इन वाहनों को निजी संस्थानों को, उनके साथ बिना किसी अनुबन्ध, प्रचालन की शर्तों एवं वंधज के प्रदान किया गया। विभाग ने टी.सी. एवं एम्बुलेन्सो के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई क्रिया विधि नहीं बनाया गया। इस प्रकार इन वाहनों का प्रयोजन निजी संस्थानो को किये गये वितरण से नाकाम रहा परिणामस्वरूप 56.09 लाख रूपये का दुरूपयोग हुआ क्योंकि निजी संस्थानो को अनुचित लाभ दिया गया।

उत्तर में सरकार ने कहा कि टी.सी. को वापस करने हेतु निजी संस्थानों को निर्देश दिया जा रहा था क्योंकि वे सरकार को इनकी उपयोगिता प्रस्तुत करने में असफल रहे।

4.4.3 निरर्थक व्यय

आयुर्वेदिक पद्धति की शिक्षा देने के लिये विद्यार्थियों का नामांकन एवं शिक्षा सत्र के प्रारंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 35.82 लाख रूपये का व्यर्थ/निरर्थक व्यय।

झारखंड में देशी चिकित्सा पद्धति की वृहत संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 2001-02 के दौरान साहेबगंज एवं गुमला में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय की स्थापना का आदेश दिया।

आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, गुमला के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2007) से पता चला कि 2002-03 और 2004-05 के बीच निधि के आवंटन नहीं रहने के कारण आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय स्थापित नहीं हो सका। महाविद्यालयों की स्थपना के लिये सरकार द्वारा पुनः पहल की गई एवं 2005-06 में 24.74 लाख रूपये और 2006-07 (जून 2006) में 45.87 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी। तदनुसार, 35.82 लाख रूपये महाविद्यालयों की स्थापना (कार्यालय व्यय, पुस्तकालय, मशीनरी, दवाइयों, इत्यादि) पर व्यय किये गये थे।

तदन्तर, यह देखा गया कि पाठ्य-सत्र को प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा न तो कोई दिशा निर्देश न ही समयवद्ध योजना बनायी गयी थी। इस प्रकार 2001-02 से इन महाविद्यालयों में किसी भी विद्यार्थी का नामांकन नहीं हुआ था।

सरकार ने कहा कि व्यय महाविद्यालय की आधारभूत संरचनाओं पर किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यय आधारभूत संरचना पर नहीं बल्कि कार्यालय व्यय आदि पर किये गये और विभाग द्वारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये गये।

---

[17] ट्रुप कैरियरः 1 जनजातीय समाज कल्याण संस्था, पंचवटी, राँची, 2. चेशायर गृह, बरियातु 3. कृषि ग्राम विकास केन्द्र, टाटीसिल्वे, राँची 4. झारखण्ड प्रदेश चिकित्सा मंच, डोरंडा, राँची 5. मैत्री वृंदावन अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मरार, रामगढ, 6. प्राचार्य, सूर्यामुखी दिनेश एवं चिकित्सा महाविद्यालय, राँची, 7. विकास भारती, विशुनपुर, गुमला।

गृह विभाग

4.4.4 चलंत फारेंसिक वाहनों पर व्यर्थ निवेश

तीन वर्षो से अधिक समय से बेकार पड़े 18 चलंत फोरेंसिक वाहनों पर किया गया 1.70 करोड़ रूपये का व्यय त्वरित अनुसंधान एवं जाँच के उद्देश्यों को पाने में असफल रहा।

ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-05) ने फोरेंसिक निष्कर्षो में तेजी लाने के लिए, जिससे राज्य में अपराधों की जाँच और अनुसंधान में तीव्रता आये, चलंत फोरेंसिक विज्ञान इकाईयों (एम.एफ.एस.यू.) की स्थापना के लिए 2.28 करोड़ रूपये चिन्हित किया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ.पु.महा.नि.), अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड ने सरकार को एम.एफ.एस.यू. के गठन का एक प्रस्ताव (जून 2001) प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने 1.81 करोड़ रूपये स्वीकृत (फरवरी 2004) एवं आवंटित (मार्च 2004) किया। तदनुसार, पुलिस महानिदेशक (पु.म.नि.) झारखण्ड ने मार्च 2004 में झारखण्ड के 18 जिलों के लिए 1.12 करोड़ रूपये में 18 वाहनों (स्वराज माजदा) का क्रय किया। पु.म.नि. एवं निदेशक, राज्य फारेंसिक/प्रयोगशाला, (एस.एफ.एल.) राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा वाहनों का आवश्यक उपकरणों के साथ अधूरी सज्जा के कारण सभी 18 चलंत वाहन मार्च 2004 से ही संबंधित जिलों में व्यर्थ पड़े थे। इसके अलावा 0.58 करोड़ रूपये वाहनों को सुसज्जित करने पर व्यय किये गये जिसमें अनुसंधान किट, पोर्टेबल जेनरेटर, विडियो कैमरा, फौरेंसिक की संदर्भ पुस्तकें इत्यादि सम्मिलित थे।

निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने स्वीकार किया कि (मार्च 2007) चलंत फारेंसिक इकाई के लिये आवश्यक वैज्ञानिक कर्मचारी[18] उपलब्ध नहीं थे। यह भी कहा गया था कि इन फोरेंसिक वाहनों को राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को नहीं सौपा गया था।

इस प्रकार, निष्क्रिय पड़े चलंत फोरेंसिक वाहनों पर किया गया 1.70 करोड़ रूपये का व्यय अपराधों के शीघ्र अनुसंधान एवं जाँच के उद्देश्यों को पाने में असफल रहा।

उत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई एवं नवंबर 2007) कि वैज्ञानिक उपकरणों की प्राप्ति, प्रशिक्षित मानवशक्ति की नियुक्ति इत्यादि के लिए कदम उठाये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.एफ.एस.यू. के गठन के पीछे के उददेश्यों को तीन वर्षो से अधिक समय में भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

[18] प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक वैज्ञानिक कर्मचारी- एक वैज्ञानिक अधिकारी, एक वैज्ञानिक सहायक, एक छायाकार और एक वैज्ञानिक सहायक (एफ.पी.)।

नागर विमानन विभाग

4.4.5 निरर्थक व्यय

शौकिया उड़ान इत्यादि हेतु प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कार्यकारी योजना प्रतिपादित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ग्लाइडर उड़ान संस्थान के अनुदेशकों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर 59.63 लाख रूपये का निरर्थक व्यय।

पूर्ववर्ती बिहार में शौकिया उड़ान एवं आनंदित सैर उड़ान के लिये प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्लाइडर उड़ान संस्थान की स्थापना (1991) की गई थी। नवंबर 2000 में अलग राज्य के गठन के पश्चात दो ग्लाइडर से सुसज्जित संस्थान झारखंड सरकार को हस्तांतरित किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2007) से ज्ञात हुआ कि नवंबर 2000 एवं फरवरी 2007 के बीच न तो कोई प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया न ही कोई शौकिया उड़ान/आनंदित सैर उड़ान भरा गया था (जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 के बीच के 36 घंटों के लिए आनंदित सैर उड़ान छोड़कर), यद्यपि नवंबर 2000 में सात प्रशिक्षु उपलब्ध थे। उसके बाद भी मार्च 2007 तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया लेकिन दो अनुदेशकों एवं छः कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर मार्च 2007 तक 59.63 लाख रूपये का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, विभाग की उड़ान के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण मुहैया कराने इत्यादि की कार्यकारी योजना प्रतिपादित करने में असफलता से संस्थान की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा परिणामस्वरूप 2000-01 एवं 2006-07 के बीच 59.63 लाख रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2007) किया गया और उन्होंने सुधारात्मक उपाय करने पर सहमति जतायी (नवम्बर 2007)।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग

4.4.6 व्यर्थ/निरर्थक व्यय

सहायक कर्मियों के साथ विशेष प्रतिनिधि के पद का सृजन एवं बिना कार्य निर्दिष्ट किये हुए वेतन एवं भत्ते के भुगतान के फलस्वरूप 49.42 लाख रूपये का निरर्थक व्यय।

झारखण्ड राज्य बनने (नवम्बर 2000) के बाद झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के लिए एक आवासीय आयुक्त (आर.सी.) एवं सहायक कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति दी गई (2001)। राज्य के प्रतिष्ठित अतिथियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था के लिए आर.सी. जिम्मेवार थे। इसके अलावा, उन्हें राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना था। तदन्तर, एक विशेष प्रतिनिधि (एस.आर.) और तीन सहायक कर्मियों की नियुक्ति की गई (जून 2001)। एस.आर. को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। उनके वेतन एवं भत्ते के लिए मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया था।

संवीक्षा (जुलाई 2007) से उद्घटित हुआ कि एस.आर. को कोई कार्य निर्दिष्ट नहीं किया गया था, यद्यपि उन्हें और उनके सहायक कर्मचारियों को अप्रैल 2002 और जून 2007 के बीच वेतन, भत्ते एवं आकस्मिक के रूप में 49.42 लाख रूपये भुगतान किये गये। इस प्रकार, एस.आर. एवं उनके सहायक कर्मचारियों को कार्य निर्दिष्ट एवं निष्पादित किये बिना ही 49.42 लाख रूपये का किया गया व्यय व्यर्थ/निरर्थक व्यय साबित हुआ।

इसे बताये जाने पर आर.सी. ने कहा कि एस.आर. के क्रियाकलाप, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्यों के संबंध में सरकार को पत्र लिखे गये थे। जैसा कि आर.सी. द्वारा कहा गया, प्रत्युत्तर की प्रतिक्षा थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

जल संसाधन एवं पथ निर्माण विभाग

4.4.7 निरर्थक व्यय

कदवन बाँध प्रमंडल, गढ़वा एवं राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल (यांत्रिक) हजारीबाग को कार्य आवंटित नहीं होने एवं वहाँ के निष्क्रिय कर्मचारियों का कहीं और उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप 7.71 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय।

कदवन बाँध प्रमंडल, गढ़वा

मुख्य अभियंताओं के अधीन विभिन्न मंडलो के कार्य क्षेत्र के पुर्नआवंटन (अप्रैल 2000) के उपरान्त कदवन बाँध के निर्माण हेतु स्थापित कदवन बाँध प्रमंडल को सासाराम से गढ़वा स्थानान्तरित किया गया था (अप्रैल 2000)। बाद में नवम्बर 2000 में बिहार एवं झारखण्ड राज्यों का विभाजन हुआ।

कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमंडल नगर उटारी, गढ़वा के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2006) से उद्घटित हुआ कि प्रमंडल को गढ़वा में (अप्रैल 2000) इसकी स्थापना के बाद से कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इसकी स्थापना से सात वर्षो तक प्रमंडल निष्क्रिय रहा जबकि अप्रैल 2000 से मार्च 2007 के बीच, 52 कर्मचारियों (सात अभियंताओं सहित) के वेतन पर 4.25 करोड़ रूपये एवं कार्यालय व्यय पर 5.77 लाख रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार, बिना कार्य किये 4.83 करोड़ रूपये का कुल व्यय निरर्थक साबित हुआ।

राष्ट्रीय उच्च पथ (यांत्रिक) प्रमंडल, हजारीबाग

अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया (जनवरी 2002) कि किसी सरकारी तप्त मिश्रण संयंत्र के 40 किमी की परिधि के अन्तर्गत पथ में अलकतरा कार्य हेतु निविदा नहीं होगा और उस कार्य को विभाग के संबंधित यांत्रिक प्रमंडल द्वारा किया जाएगा, जबतक कि उनके द्वारा कार्य क्रियान्वित करने में असमर्थता व्यक्त न की जाय।

का.अ., राष्ट्रीय उच्च पथ (यांत्रिक) हजारीबाग के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि प्रमंडल के पास संबंधित यंत्र-समूहों सहित 1.51 करोड़ रूपये मूल्य के दो तप्त मिश्रण संयंत्र थे लेकिन 2004-07 के बीच उन्हें कोई कार्य आवंटित नहीं

किया गया था, जबकि छः अभियंताओं सहित 72 कर्मचारियों के वेतन पर 2.73 करोड़ रूपये व्यय किये गए थे। इसके अलावा यंत्र-समूहों की मरम्मत और रख रखाव पर उसी अवधि में 15.41 लाख रूपये व्यय किये गये थे यद्यपि कार्य के अभाव में इनका उपयोग मरम्मति के पूर्व और बाद में नहीं किया गया। इस प्रकार, बिना कार्य के 2.88 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक साबित हुआ।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2007) कि कदवन बाँध प्रमंडल, गढ़वा के कर्मचारियों को दूसरे प्रमंडल में लाभकारी उपयोग हेतु पदस्थापित किया जाएगा और रा.उ.प. (यांत्रिक) प्रमंडल हजारीबाग के अन्तर्गत तप्त मिश्रण संयंत्रों को क्रियाशील बनाया जाएगा।

4.5 नियामक मुद्दे एवं अन्य मामले

वित्त विभाग

4.5.1 पेंशन का अधिक/कम भुगतान

चार जिलों के अन्तर्गत 57 बैंक शाखाओं में पेंशन/पारिवारिक पेंशन मद में कुल 1.12 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान तथा 10.23 लाख रूपये का कम भुगतान देखा गया।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (पी.सी.बी.) द्वारा राज्य सरकार के असैनिक पेंशन भोगियों के पेंशन के भुगतान के लिए बनी योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा अपने नमूना हस्ताक्षर और विशेष मुहर की प्रति उस स्थान पर सरकारी कार्य करने वाले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक/एजेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सरकारी क्षेत्र के बैंक की सबंद्ध शाखा के पास भेजना आवश्यक है। यह संबद्ध शाखाओं को पेंशन भुगतान आदेशों (पी.पी.ओ.) की सत्यता को सुनिश्चित करता हैं। दूसरी ओर संबद्ध शाखा, कोषागार से पी.पी.ओ. की प्राप्ति और उनका भुगतान शाखाओं, जो पेंशन भुगतान करता है, में अन्तरण दर्ज करने के लिए एक अनुक्रमणी बही का रख रखाव करेगा। उसी प्रकार, भुगतान शाखाएं विहित फॉर्म में पेंशन भुगतान बही (पी.पी.आर.) का संधारण करेगी और पेंशन के प्रत्येक भुगतान को समय-समय पर दर्ज करेगी। भुगतान शाखाओं को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में पेंशनरों एवं पारिवारिक पेशनरों से जीवित रहने का प्रमाणपत्र, अनियोजन, पुनर्नियोजन, पुनर्विवाह और अविवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। भुगतान शाखाओं द्वारा समय-समय पर किए गए पेंशन भुगतान को भी पेशन भुगतान आदेशों में दर्ज कर शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना था।

रांची, गुमला, हजारीबाग और जमशेदपुर जिलों में स्थित पी.सी.बी. के 20 संबद्ध सह भुगतान शाखाओं तथा 37 भुगतान शाखाओं के अभिलेखों की फरवरी-मार्च 2006 और अगस्त 2006 सितम्बर 2007 के दौरान नमूना जांच से निम्नलिखित उदघटित हुआः

(क) विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं होना और अभिलेखों का अनुपयुक्त रखरखाव

चारों जिला कोषागार पदाधिकारियों में किसी के द्वारा भी किसी भी संबद्ध शाखा में विशेष मुहर की प्रतिलिपि नहीं भेजी गयी थी। संबद्ध शाखाओं में अग्रसारण पत्रों पर विशेष मुहर लगाये बिना ही पेंशन भुगतान आदेश अग्रसारित कर दिया गया था। इसके अभाव, में जाली पेंशन भुगतान आदेशों के प्रस्तुतीकरण को रोकने हेतु प्रयुक्त नियंत्रण

अप्रभावी हो गया था। बीस संबद्ध शाखाओं में से 11 के द्वारा अनुक्रमणी बही का संधारण नहीं किया गया था। भुगतान शाखाओं द्वारा न तो पेंशन भुगतान बहियों का संधारण किया जा रहा था, न ही पी.पी.ओ. में दर्ज किया जा रहा था। इसकी अनुपस्थिति में पेंशन भुगतान, जैसा कि मासिक स्क्रॉल में सूचित किया गया था, की जाँच नहीं की जा सकी। तदन्तर, भुगतान शाखाओं द्वारा रखे गये पी.पी.ओ. की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी। हाँलाकि, 18 भुगतान शाखाओं में, 393 पेंशन भुगतान आदेशों को रोक कर रखा गया था जिनके विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया जा रहा था। जीवित रहने के प्रमाण पत्र की उपेक्षा करते हुए चार भुगतान शाखाओं द्वारा 21 पेंशनभोगियों को 22.76 लाख रूपये का भुगतान अप्रैल 2001 से अप्रैल 2006 के बीच किया गया था। तीन मामलों में, यद्यपि पेंशनभोगियों की मृत्यु हो चुकी थी, मृत पेंशनभोगियों के खातों में लगातार 4.87 लाख रूपये जमा किए जाते रहे।

(ख) रांची कोषागार के क्षेत्राधिकार से बाहर के पेशनभोगियों को लाभ से वंचित रहना

भारत सरकार के निर्देशों (मार्च 2004) के अनुरूप झारखंड सरकार ने मंहगाई राहत के 50 प्रतिशत का पेंशन के साथ विलय की योजना कार्यान्वित की थी (जुलाई 2004)। यह देखा गया कि 50 प्रतिशत मॅहगाई राहत के विलय का लाभ रांची कोषागार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुछ भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा दिया गया (जून 2005), परन्तु रांची से बाहर और दूसरे बैंकों द्वारा पेंशन लेने वालों को इसका लाभ नहीं दिया गया। इसे बताये जाने पर वित्त विभाग ने इसका लाभ सभी कोषागारों और बैंकों द्वारा दिए जाने हेतु स्पष्टीकरण निर्गत कर दिए (अगस्त 2007)।

(ग) पारिवारिक पेंशन का अधिक/कम भुगतान

राज्य असैनिक सेवा (पेंशन), नियम 1964 के प्रावधानों के अनुसार, जब एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए, सात वर्ष की सेवा देने के उपरान्त हो जाती है तो उसका/उसकी परिवार, मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक जब वह सरकारी कर्मचारी 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित होता, जो भी पहले हो, के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर अथवा मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत जो भी कम हो पारिवारिक पेंशन का अधिकारी है। पुनः केंद्र/राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में नियोजित पारिवारिक पेंशनभोगी, मंहगाई राहत एवं चिकित्सा भत्ता के पात्र नहीं हैं।

मार्च 1997 और अगस्त 2007 के दौरान चार जिलों के अन्तर्गत 169 मामलों में 60.81 लाख रूपये का अधिक पारिवारिक पेंशन भुगतान किया गया जिसमें चिकित्सा भत्ता और मंहगाई राहत भी सम्मिलित है जबकि 15 मामलों में 4.05 लाख रूपये का कम भुगतान किया गया।

(घ) दर के गलत अनुप्रयोग के कारण पेंशन का अधिक/कम भुगतान

पेंशनभोगियों के खातों में क्रेडिट की गयी पेंशन की राशि पेंशन भुगतान आदेश में निर्धारित दर के अनुसार होनी चाहिए। एकतीस मामलों में 20 भुगतान शाखाओं द्वारा 7.29 लाख रूपये ***(परिशिष्ट 4.1)*** पेंशन का अधिक भुगतान किया गया जबकि 28

मामलों में 15 भुगतान शाखाओं द्वारा 4.63 लाख रूपये का कम भुगतान किया गया (***परिशिष्ट 4.2***)

(ड) पेंशन के रूपान्तरित भाग के असमायोजन के कारण अधिक/कम भुगतान

राज्य असैनिक सेवा (पेंशन का रूपान्तरण) नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार, मौलिक रूप से संस्वीकृत पेंशन की राशि को रूपान्तरित पेंशन की राशि के समतुल्य पेंशन के रूपान्तरित मूल्य के एक मुश्त भुगतान की तिथि अथवा रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार निर्गत करने की तिथि से तीन महीने के पश्चात, जो भी पहले हो, घटा देना होता है। पन्द्रह वर्षों के पश्चात पेंशन के रूपान्तरित भाग की पुर्नस्थापना कर देनी चाहिए। कुल 111 मामलों में 38 भुगतान शाखाओं द्वारा नियत तिथि पर रूपान्तरित भाग के नहीं घटानें के कारण 39.16 लाख रूपये ***(परिशिष्ट 4.3)*** पेंशन का अधिक भुगतान किया गया जबकि 6 मामलों में 15 वर्षों के उपरान्त भी पेंशन के रूपान्तरित भाग की पुर्नस्थापना नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 0.76 लाख रूपये का कम भुगतान हुआ। चार मामलों में पारिवारिक पेंशन से पेंशन के रूपान्तरण के कारण कटौती की गई जिसके परिणामस्वरूप 0.79 लाख रूपये का कम भुगतान हुआ।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2007) की त्रुटियों की सुधार के लिए जिला कोषागार पदाधिकारियों एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया था।

वन एवं पर्यावरण विभाग

4.5.2 शुद्ध वर्तमान मूल्य की माँग का सृजन नहीं/कम किया जाना

प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, सरायकेला द्वारा वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग के लिए अन्तरण हेतु 11.96 करोड़ रूपये के शुद्ध वर्तमान मूल्य की माँग प्रस्तुत करने में विफलता।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अधीन, वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के उपयोग के लिए, प्रयोक्ता अभिकरण से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर, भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (शु.व.मू.) के साथ क्षतिपूरक वनरोपण की वसूली करके क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना अभिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत कैम्पा निधि में जमा करना है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी (व.प्र.प.) सरायकेला, वन प्रमंडल, (चाईबासा) के अभिलेखों की संवीक्षा से (जनवरी 2007) उद्घटित हुआ कि केन्द्र सरकार द्वारा जल पथ प्रमंडल, चाईबासा को 139.192 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन हेतु, अगस्त 2006 में सैद्धांतिक रूप से सहमति गयी दी थी। भूमि की आवश्यकता सरायकेला खरसावाँ जिले में "सुरू जलाशय" के निर्माण के लिए थी। तदन्तर, स्वीकृत प्रस्ताव की शर्त के अनुसार, राज्य सरकार को प्रयोक्ता अभिकरण पर शु.व.मू. का प्रभरण करना था। परन्तु शु.व.मू. की माँग का सृजन विभाग द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 11.54 करोड़ रूपये की शु.व.मू. की माँग का सृजन नहीं हुआ।

जनवरी 2007 में इसे बताये जाने पर व.प्र.प. ने फरवरी 2007 में 11.54 करोड़ रूपये की माँग का सृजन किया और अप्रैल 2007 में 9.85 करोड़ रूपये की वसूली की। तदन्तर, वसूली के संदर्भ में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2007)।

शु.व.मू. की दर को पुनः संशोधित (सितम्बर 2003) किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (अक्टूबर 2006 में कैम्पा द्वारा निर्गत आदेश) भूतलक्षी प्रभाव से उन मामलों में शु.व.मू. वसूलनीय था जिनके लिए अंतिम स्वीकृति 30 अक्टूबर 2002 को या बाद में दी गई थी चाहे सैद्धातिक स्वीकृति कभी भी दी गई हो।

केन्द्र सरकार ने प्रयोक्ता अभिकरण को 9.1109 हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण की सैद्धांन्तिक स्वीकृति 1997 में प्रदान की थी एवं अंतिम स्वीकृति अप्रैल 2005 में प्रदान की थी। विभाग ने सितम्बर 1999 में 28.32 लाख की माँग का सृजन प्रयोक्ता से किया परन्तु संशोधित माँग के सृजन में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 42.11 लाख रूपये के शु.व.मू. की कम माँग का सृजन हुआ।

जनवरी 2007 में इसे बताये जाने पर व.प्र.प. ने अप्रैल 2007 में माँग का सृजन किया। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

4.5.3 भारत सरकार की मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं होने के कारण ब्याज की हानि

भारत सरकार (भा.स.)द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण का वन प्रमंडल पदाधिकारी (व.प्र प.) द्वारा अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप 3.48 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा अनुमोदित विकास परियोजनाओं (गैर-वानिकी) को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्पष्टीकरण निर्गत किया (मार्च 2004) कि प्रयोक्ता संस्थाओं द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (शु.व.म.), जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना आदि के एवज में प्राप्त निधि को, क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना अभिकरण (कैम्पा) के गठित होने तक, राष्ट्रीयकृत बैंक में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी (व.प्र.प.) या नोडल अधिकारी के नाम से सावधि जमा के रूप में रखना है।

व.प्र.प., बोकारो के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2006) में देखा गया कि सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड (सी.सी.एल.) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण, शु.व.मू, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना आदि के एवज में जून से दिसम्बर 2003 के दौरान 22.22 करोड़ रूपये व.प्र.प., बोकारो के यहाँ जमा किया गया। इसे व.प्र.प., बोकारो द्वारा संबंधित शीर्ष (8235 एवं 8782) में रखा गया (जून 2003 से नवम्बर 2006)।

भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत होने के बाद भी व.प्र.प., बोकारो द्वारा अप्रैल 2004 से नवम्बर 2006 के दौरान निधि को संगत शीर्षो के अंतर्गत रखने के फलस्वरूप 3.48 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई (छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित)।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 2006) व.प्र.प., बोकारो ने कहा कि क्षतिपूरक वनरोपण, शु.व.मू., जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना आदि के मद में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त

राशि मार्गदर्शिका के नहीं रहने के करण संगत शीर्षो में रखा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व.प्र.प., बोकारो ने कैम्पा निधि पर भा.स. के स्पष्टीकरण निर्गत (मार्च 2004) करने के बाद भी राशि को राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा के रूप में हस्तांतरित करने की कोई कार्रवाई नहीं की।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण का व.प्र.प., बोकारो द्वारा अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप नवम्बर 2006 तक 3.48 करोड रूपये ब्याज की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2007)।

ग्रामीण विकास विभाग

4.5.4 खाली बोरो की बिक्री प्राप्ति का उद्ग्रहण नहीं होना

भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर कार्यकारी अभिकरणों से खाली बोरो की बिक्री प्राप्ति का उद्ग्रहण नहीं होने के फलस्वरूप 2.51 करोड़ रूपये की हानि।

भारत सरकार, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स.ग्रा.रो.यो.), एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के निष्पादन में लगे श्रमिकों के वितरण हेतु खाद्य सामग्री (चावल एवं गेहूँ) मुहैया कराती है। स.ग्रा.रो.यो. एवं एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण हेतु जिन बोरों में खाद्य सामग्री प्राप्त की जाती है, उनको राज्य में विहित तरीके से निपटारा कर एवं इसकी बिक्री से प्राप्त आय को परिवहन खर्च/ढुलाई प्रभार के भुगतान करने में उपयोग किया जा सकता था।

आठ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.)[19] के खाद्य सामग्री के उठाव से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च और अक्टूबर 2003 के बीच) से प्रकट हुआ कि कार्यकारी अभिकरणों द्वारा 2001-2006 के दौरान 20,88,033.50 क्विन्टल खाद्य सामग्रियों का उठाव 41,76,067 बोरों में किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार 50 किलो क्षमता वाले एवं 100 किलो क्षमता वाले बोरों की दर क्रमशः 6 रूपये एवं 12 रूपये थी। अगर बोरों का निपटारा उपर्युक्त दर से संभव नहीं हो तब इन बोरों का निपटान खुली नीलामी द्वारा किया जा सकता है। मई 2007 तक राज्य सरकार ने खाली बोरों के निपटान हेतु कोई प्रक्रिया विहित नहीं की अतः 41,76,067 बोरों के लिए 6 रूपये प्रति बोरा की दर से 2.51 करोड़ रूपये की राशि का उद्ग्रहण कार्यकारी अभिकरणों से नहीं किया गया एवं परिवहन खर्च/बोरों की ढ़लाई के भुगतान करने में इसका उपयोग नहीं किया जा सका, जो भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था।

इसे बताये जाने पर (मार्च-सितम्बर 2006), उप विकास आयुक्तों (उ.वि.आ.) ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कार्यकारी अभिकरणों से खाली बोरों के मूल्य के उद्ग्रहण हेतु पत्राचार किया जा रहा था।

[19] चतरा,दुमका, कोडरमा, लोहरदगा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और सिमडेगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

गृह (कारा)और भवन निर्माण विभाग

4.5.5 दुबारा आहरित राशि का वापस नहीं किया जाना

संहिता प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप 60.00 लाख रूपये की दुबारा आहरित राशि का सात वर्षो से अधिक समय तक वापस नहीं किया जाना एवं स्वीकृति में शामिल उद्देश्यों के विपरीत 5.20 लाख रूपये का अनियमित भुगतान।

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) की कंडिका 437 के अनुसार कोई विभाग जो जमा कार्यो का प्रस्ताव करता है, प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कुल प्राक्कलित व्यय के विरूद्ध कार्यकारी विभाग/अभिकर्ता को राशि एकमुश्त या किश्तों में अग्रिम देता है। राशि प्राप्त करने वाले प्रमण्डलीय पदाधिकारी को कार्य समाप्त होने के छः महीने के अन्दर अव्यहृत राशि को वापस करना चाहिए।

का.अ.,भवन निर्माण प्रमंडल सं.-I, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से यह विदित हुआ कि भवन निर्माण विभाग द्वारा खूँटी उप-कारा के तीन पुरूष बंदी गृह निर्माण हेतु प्रशासिनक स्वीकृति (प्र.स्वी.) दी गयी (58.37 लाख रूप्ये मार्च 1997 में एवं पुनरीक्षित 1.34 करोड़ रूपये मई 2002 में) और 1997 एवं 2003 के बीच 1.26 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया। का.अ. द्वारा जनवरी 2003 तक 1.17 करोड़ रूपये व्यय किया गया।

यद्यपि कार्य प्रगति में था और का.अ.,भ.नि.प्र. द्वारा राशि की निकासी की जा चुकी थी फिर भी उसी प्र.स्वी.के विरूद्ध, गृह (कारा) विभाग द्वारा भी उसी कार्य हेतु का.अ. को जेल अधीक्षक, खूँटी के माध्यम से 60 लाख रूपये विमुक्त किया गया (मार्च 1999) । इस प्रकार बजटीय प्रावधानों को अनदेखा करते हुए एक ही कार्य के लिए दो बार राशि की निकासी की गई, एक बार भ.नि.वि. द्वारा एवं दूसरी बार गृह (कारा) विभाग द्वारा। राशि को लौटाने के बदले संहिता प्रावधानों की अवज्ञा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (कारा) द्वारा का.अ. को दुबारा आहरित राशि में से 42.59 लाख रूपये को जेल अधीक्षक, चिकित्सा पदाधिकारी के आवास के विद्युतीकरण, स्वच्छता प्रबंध, शौचालय निर्माण इत्यादि के व्यय हेतु उपयोग में लाने का आदेश दिया गया (नवम्बर 2006) जबकि इस कार्य हेतु कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी। इसमें से 5.20 लाख रूपये अनियमित रूप से व्यय किया जा चुका था एवं 54.80 लाख रूपये अव्यवहृत पड़े थे।

इस प्रकार संहिता प्रावधानों के उल्लघन के परिणामस्वरूप 60 लाख रूपये सात वर्षों से अधिक तक रोक कर रखते हुए वापस नहीं किया गया इसके अतिरिक्त दूसरे उद्देश्यों, जो स्वीकृति में शामिल नहीं थे, हेतु 5.20 लाख रूपये का अनियमित व्यय किया गया।

भवन निर्माण विभाग ने कहा (नवम्बर 2007) कि 54.80 लाख रूपये जेल अधीक्षक, खूँटी को लेखापरीक्षा के दृष्टांत के आधार पर वापस किया गया (नवम्बर 2007)। गृह (कारा) विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रतिक्षित थी (नवम्बर 2007)।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.5.6 अग्रिमों का उद्ग्रहण/समायोजन नहीं होना

जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य संस्था, राँची द्वारा संहिता प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप 38.34 लाख रूपये का उद्ग्रहण/समायोजन नहीं होने से संभावित दुर्विनियोजन/गबन का जोखिम।

भारत सरकार द्वारा पोलियो के उन्मूलन हेतु पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम (प.पो.टी.का.) की शुरूआत की गयी (1999-2000)। प.पो.टी.का. का कार्यान्वयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) के द्वारा किया जाना था। भारत सरकार द्वारा राज्य प्रजनन शिशु स्वास्थ्य (रा.प्र.शि.स्वा.) संस्था, नामकुम राँची को निधि प्रदान की गयी थी जिसे कार्यान्वयन हेतु प्रा.स्वा.के. को उपलब्ध कराना था। प्राप्त अग्रिमों के वितरण की निगरानी हेतु एक अलग पंजी का संधारण किया जाना था। अव्ययित राशि एवं मूल अभिश्रवों को जिला स्तर पर प्रत्येक प्रा.स्वा.के. द्वारा रा.प्र.शि.स्वा. संस्था को प्रस्तुत किया जाना था।

जिला प्र.शि.स्वा. संस्था राँची के अभेलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि समिति ने 2001-04 के दौरान 1.70 करोड़ रूपये प्राप्त किया एवं इसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उक्त अवधि में 20 प्रा.स्वा.के. को अग्रिम दिया (दिसम्बर 2001 एवं फरवरी 2004 के दौरान)।

प्रा.स्वा. केन्द्रो द्वारा संबधित जिला प्र.शि.स्वा. संस्था को तीन से पाँच साल बीत जाने पर भी न तो मूल अभिश्रवों को और न ही 38.34 लाख रूपये की अव्यवहृत राशि को वापस किया गया। अव्यवहृत राशि नहीं लौटाये जाने के कारणों को अभिलेख में अंकित नहीं किया गया था। मार्च 2007 तक उक्त राशि के उद्ग्रहण/समायोजन के लिए विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये थे।

इस प्रकार, जिला प्र.शि.स्वा. संस्था द्वारा अग्रिमों के उद्ग्रहण/समायोजन पर उचित निगरानी के अभाव में प्रा.स्वा. केन्द्रों के पास 38.34 लाख रूपये के अग्रिम तीन से पाँच वर्षों तक बिना उद्ग्रहण/समायोजन के रहा एवं संभावित दुर्विनियोजन/गबन के जोखिम का डर बना।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अकटूबर 2007); सरकार ने उत्तर में कहा कि प्रा.स्वा. केन्द्रों से अग्रिमों की वसूली/समायोजन हेतु समय समय पर प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योकि 38.34 लाख रूपये का प्रमाणक न तो प्रा.स्वा.के. में न ही जिला कार्यालय, राँची में उपलब्ध थे।

4.6 सामान्य

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई

4.6.1 व्याख्यात्मक टिप्पणी (नोटस) का उपस्थापन नहीं किया जाना

भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुसार (सितम्बर 2005) सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा, लोक लेखा समिति की सूचना का इन्तजार किए बिना, विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनें के अन्दर प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं और समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी उपस्थापित करनी है जिसमें की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई सम्मिलित होती है।

सितम्बर 2007 तक 29 विभागों द्वारा वर्ष 2000-01 से 2005-06 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 134 कंडिकाओं/समीक्षाओं में से 117 की व्याख्यात्मक टिप्पणी (एक्शन टेकेन टिप्पणी) प्रस्तुत नहीं की गयी थी ***(परिशिष्ट-4.4)***। इनमें से 33 व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (29 प्रतिशत) पथ निर्माण एवं ग्रामीण विकास विभागों में लम्बित थी।

4.6.2 सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में उल्लिखित विन्दुओं पर सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा समुचित कार्रवाई की जानी है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित पाँच विभागों की अनियमितताओं/प्रणाली त्रुटियों से संबंधित पाँच मामलों पर की गई कार्रवाई के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि उसी तरह की कमियाँ/त्रुटियाँ अभी भी विद्यमान है जिसकी चर्चा नीचे है।

लोक या निजी उपक्रमों में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति मूल्य का उद्ग्रहण नहीं होना	पुलिस अधीक्षक, धनबाद द्वारा लोक या निजी उपक्रमों को पुलिस सेवा प्रदान करने के बदले 0.54 करोड़ रूपये की वसूली नहीं करने से संबंधित मामला लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2001-02 की कंडिका 3.8 में उल्लिखित थी। पुनः संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि पुलिस अधीक्षक, धनबाद एवं राँची द्वारा 3/93 से 3/06 के बीच विभिन्न सरकारी/निजी उपक्रमों को प्रदत्त पुलिस सेवा के बदले 1.52 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की गई थी। उत्तर में सरकार ने कहा कि (नवम्बर 2007) दोषी उपक्रमों को बकाया भुगतान करने के लिए स्मारित किया गया था।
रोजगार जनक योजनाओं के मजदूरी घटकों पर कम व्यय	पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर (प. सिंहभूम) जिलों के रोजगार गारंटी योजनाओं के अन्तरर्गत मजदूरी घटकों पर कम व्यय से संबंधित मामला लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2002-03 की कंडिका 4.5.1 में उल्लिखित था। 1997-98 से 2003-04 के दौरान निष्पादित योजनाओं में मजदूरी घटकों पर 60 प्रतिशत के प्रावधान के विरूद्ध सिर्फ 28 प्रतिशत (4.40 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1.22 करोड़ रूपये) व्यय किया गया था जिसके फलस्वरूप योजनाओं का चयन अविवेकपूर्ण था। तदन्तर, 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

	योजना में भी मजदूरी घटकों पर व्यय में गिरावट थी जो की 60 प्रतिशत के विरूद्ध 19 से 24 प्रतिशत थी।
पहुँच पथ हेतु भूमि अधिग्रहित किये बिना पुल का निर्माण	पथ निर्माण प्रमंडल, बोकारो और चाईबासा द्वारा निर्मित दो निष्क्रिय पुलों के निर्माण पर 6.04 करोड़ रूपये के निष्फल व्यय संबंधित मामले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2004-05 के कंडिकायें 4.2.1 एवं 4.2.2 में उल्लेखित हैं जहाँ एक मामले में पहुँच पथ जबकि दूसरे में पहँच पथ के साथ-साथ पुल के कुछ भाग का निर्माण, पुल निर्माण आरंभ के पूर्व आवश्यक भूमि अधिग्रहण नहीं होने की वजह से नहीं किया जा सका था। पुनः ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राँची द्वारा एक पुल के निर्माण पर 93.66 लाख रूपये व्यय किये गये जहाँ भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण पहुँच पथ का निर्माण नहीं हो सका और व्यय निष्फल रहा।
लाभुर्को से ऋण का उद्ग्रहण नहीं होना	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2002-03 की कंडिका 5.1.10 में उल्लिखित था कि मेसो क्षेत्र के अन्दर आय-जनित योजनाओं में 39.93 करोड़ रूपये की लागत से 2001-02 में 589 बसों की खरीद की गई थी एवं लाभुकों में वितरित की गई थी। बसों की लागत का दस प्रतिशत (3.99 करोड़ रूपये) ऋण के रूप में लाभुकों से वसूलनीय था। मार्च 2007 तक 4.79 करोड़ रूपये (मूलधनः 3.93 करोड़ एवं ब्याजः 0.80 करोड़ रूपये) पाँच वर्षो में वसूल नहीं हो सके थे। सरकार ने कहा (नवम्बर 2007) कि 14.19 लाख रूपये वसूल किये जा चुके थे एवं बकाया राशि की वसूली हेतु आदेश निर्गत किये जा रहे थे।
बकाये अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं होना	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2001-02 की कंडिका 5.2 में एवं 2003-04 की कंडिका 3.2.6 में राँची विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा 6.43 करोड़ रूपये (मार्च 2002), एवं 7.47 करोड़ रूपये (मार्च 2004) के असमायोजित अग्रिम का मामला उल्लिखित था। पुनः संवीक्षा (अगस्त 2007) से उद्घटित हुआ कि मार्च 2004 तक के अग्रिमों का समायोजन नहीं होने के कारण 30.78 लाख रूपये अवसूलनीय हो गये क्योंकि ये अग्रिम सेवानिवृत/मृत/स्थानान्तरित कर्मचारियों के विरूद्ध बकाये थे। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2007) एवं कहा कि संबंधित लोंगों को उचित निर्देश निर्गत किये जा रहे थे।

4.6.3 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं किया जाना

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत (सितम्बर 2005) निर्देश के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं की निर्गत तिथि के छः महीने के अन्दर ऐक्शन टेकेन नोट्स (ए.टी.एन.) उपस्थपित करना था।

सितम्बर 2007 तक लेखा लोक लेखा समिति द्वारा 57 कंडिकाओं पर चर्चा की गयी एवं नवम्बर 2000 और मार्च 2007 के बीच 22 कंडिकाओं पर अनुशंसाओं की गई थी। इनमें से सिर्फ दो मामलों में ए.टी.एन.प्राप्त हुए थे।

4.6.4 लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर का अभाव

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकारी विभागों के विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार, महत्वपूर्ण लेखे एवं अन्य अभिलेखों, लेन-देन की नमूना जाँच एवं अनुरक्षण के सत्यापन का आवधिक निरीक्षण संचालित करने की व्यवस्था की जाती है। ये निरीक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) द्वारा अनुसारित होते है। लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उसके अनुश्रवण एवं उसके निपटारा हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर एक अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन विभाग के सचिव को भेजा जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में रखे गये अवलोकनों का उत्तर कार्यालय प्रधान एवं बाद के उच्चाधिकारियों द्वारा देना आवश्यक है एवं प्रतिवेदन के अनुसार दोषों एवं भूल-चूकों को तत्परता के साथ अनुपालन प्रतिवेदन परिशोधित कर महालेखाकार (ले.प.) को भेजना है।

जून 2005, जून 2006 एवं जून 2007 के अन्त तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शायी गयी हैः

	के अन्त में लंबित कंडिकायें		
	जून 2005	जून 2006	जून 2007
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8793	3922	4319
कंडिकाओं की संख्या	41135	22458	24427

30 जून 2007 तक लंबित 4319 नि.प्र./24427 कंडिकाओं में से 1471 नि.प्र./8588 कंडिकाओं के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। इन नि.प्र. एवं कंडिकाओं की वर्षवार विवरणी ***परिशिष्ट 4.5*** में दर्शायी गयी है। प्रधान सचिव/सचिव जो कि अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से इस स्थिति से अवगत हैं, वे भी संबंधित विभागों द्वारा तत्परता एवं समय से कार्रवाई किये जाने हेतु आश्वस्त नहीं कर सके। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं पर कार्रवाई की कमी के फलस्वरूप लगातार गंभीर वित्तीय अनियमितता और सरकार को क्षति हुई।

4.6.5 लेखापरीक्षा समिति का गठन

शकधर समिति (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा विकसित करने हेतु एक राज्य स्तरीय शीर्ष लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया (फरवरी 2005)। मुख्य सचिव को अध्यक्ष, प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सदस्य (समन्वयन) एवं सभी विभागीय सचिवों एवं महालेखाकार को समिति का सदस्य बनाया गया। जून 2007 में सिर्फ एक बार समिति की बैठक हुई। सरकार के द्वारा विभाग एवं जिला स्तरीय लेखापरीक्षा समिति के गठन संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई। यद्यपि, गृह विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटारा हेतु लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक की गई थी (अगस्त 2007)।

पुनः महालेखाकार के पहल पर क्षेत्रीय एवं मण्डलीय कार्यालयों के प्रधान एवं महालेखाकार के प्रतिनिधि को मिलाकर, लंबित नि.प्र. के शीघ्रातिशीघ्र निपटारे के लिए

लेखापरीक्षा समितियाँ बनायी गई थी। जुलाई 2006 से फरवरी 2007 तक 26 मौकों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 766 कंडिकायें, 36 नि.प्र. निपटाये गए। सूचित करने के बाद भी तथापि, प्रधान सचिव/सचिव एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुए। दो मामलों में लेखापरीक्षा दृष्टांत पर 2.14 लाख रूपये वसूल किये गए।

यह लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई त्रुटियों को सुधारने हेतु विभागों की गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को तत्परता से (क) विभाग और जिला स्तर पर लेखापरीक्षा समिति का गठन करना चाहिए (ख) लंबित नि.प्र. एवं कंडिकाओं के तीव्र निपटान हेतु लेखापरीक्षा समिति की नियमित बैठक होनी चाहिए (ग) महालेखाकार के नि.प्र. पर सामयिक एवं उचित प्रत्युत्तर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं (घ) निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठायी गई आपत्तियों के आलोक में वसूली होनी चाहिए।